विषय सूची

क्रम सं	पैरा सं. (2016-17 के बजट भाषण में)	विषय	पृष्ठ सं.
1.	17	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	1
2.	18	सिंचाई परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक आधार पर पूरा करना	2
3.	19	दीर्घावधिक सिंचाई निधि	3
4.	20	संपोषणीय भू-जल संसाधन प्रबंधन	3
5.	21	तालाबों का निर्माण और जैविक खाद का उत्पादन	3
6.	22	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	4
7.	23	परम्परागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास	5
8.	24	दालों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी	6
9.	25	कृषि विज्ञान केन्द्रों के सुधार हेतु क्रियाकलाप	6
10.	26	एकीकृत कृषि विपणन स्कीम का संवर्द्धन	7
11.	28	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	7
12.	30	किसानों को पर्याप्त ऋण-प्राप्ति सुनिश्चित करना	8
13.	31	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	8
14.	32	कृषि उत्पादों की खरीद में सुधार	8
15.	33	पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु क्रियाकलाप	9
16.	34	मधुमक्खी पालन के कार्यकलाप को बढ़ावा देना	10
17.	36	ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान में बढ़ोत्तरी	11
18.	37	दीनदयाल अंत्योदय मिशन	11
19.	39	श्यामाप्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन	12
20.	40	ग्रामीण विद्युतीकरण	12
21.	41	डीडीजेवाई और एकीकृत विद्युत विकास के लिए निधि	12
22.	42	स्वच्छ भारत मिशन	13
23.	43	खुले में शौच करने की समस्या से मुक्त होने वाले गांवों को पुरस्कार	13
24.	44	राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन	13
25.	45	भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण	14
26.	46	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	14
27.	50	गरीब परिवारों की महिला सदस्यों के लिए एलपीजी कनेक्शन	14
28.	52	गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम	15
29.	53	प्रधानमंत्री जन औषधि योजना	15
30.	54	डायलिसिज़ सेवा में सुधार	16
31.	55	राष्ट्रीय डायलिसिज़ सेवा कार्यक्रम	16

क्रम सं	पैरा सं. (2016-17 के बजट भाषण में)	विषय	पृष्ठ सं.
32.	56	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम	16
33.	57	उद्यमियों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति केन्द्र	17
34.	58	अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास	17
35.	59	शिक्षा, कौशल और रोजगार सृजन	18
36.	60	62 नए नवोदय विद्यालय खोलना	18
37.	61	विश्वस्तरीय संस्थाओं के रूप में उभरने हेतु भारतीय उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं हेतु किए जाने वाले प्रयास	19
38.	62	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी का सृजन	20
39.	63	डिग्री और प्रमाण-पत्रों के लिए डिजिटल निक्षेपागार	20
40.	64	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	20
41.	65	राष्ट्रीय कौशल विकास बोर्ड	21
42.	66	उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण	21
43.	67	रोजगार में आए नए कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना अंशदान	22
44.	68	रोजगार सृजन प्रोत्साहन	22
45.	69	मॉडल करियर केन्द्रों की स्थापना	22
46.	70	मॉडल दुकान और प्रतिष्ठान विधेयक	23
47.	72	रूकी हुई सड़क परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाना	23
48.	73	सड़कों और राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाने हेतु कदम	24
49.	74	सड़कों और रेलवे पर परिव्यय	24
50.	75	राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण/उन्नयन	24
51.	77	मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन	25
52.	78	पत्तनों और सागरमाला परियोजनाओं का आधुनिकीकरण	25
53.	79	असेवित और अल्प सेवित विमान पत्तनों को पुनः चालू करना	26
54.	80	गैस उत्पादन को प्रोत्साहन	26
55.	82	नाभिकीय विद्युत उत्पादन में निवेश को बढ़ाना	26
56.	83	अवसंरचना क्षेत्र हेतु अतिरिक्त वित्त साधन जुटाना	27
57.	84	अवसंरचना क्षेत्र के पुनरूद्धार के लिए नए उपाय	28
58.	85	एफडीआई नीति में सुधार	29
59.	86	निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम	30
60.	87	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में एफडीआई	30
61.	88	सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में वित्तीय प्रबंधन	31
62.	89	विनिवेश विभाग का नाम बदलकर दीपम किया जाना	32
63.	90	वित्तीय क्षेत्रक सुधार	32

क्रम सं	पैरा सं. (2016-17 के बजट भाषण में)	विषय	पृष्ठ सं.
64.	91	सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पुनरूद्धार योजना	35
65.	92	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूंजीकरण	35
66.	93	बैंक बोर्ड ब्यूरो	35
67.	94	भारग्रस्त आस्तियों का त्वरित समाधान	36
68.	95	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	36
69.	96	डाकघरों में एटीएम और माइक्रो एटीएम सेवाओं को राष्ट्रव्यापी आधार पर चालू करना	37
70.	97	साधारण बीमा कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाना	37
71.	98	सुशासन	38
72.	99	विभिन्न मंत्रालयों में मानव संसाधनों का यौक्तिकीकरण	38
73.	100	सब्सिडियों और वित्तीय सहायता का लक्ष्यबद्ध संवितरण	38
74.	101	माल और सेवाओं की खरीद	40
75.	102	कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन	40
76.	103	दालों का बफर स्टॉक	41
77.	104	एक भारत श्रेष्ठ भारत	42
78.	105	स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ का समारोह	42
79.	109	आयोजना और आयोजना-भिन्न वर्गीकरण का समापन	43
80.	110	सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार	43
81.	111	एफआरबीएम अधिनियम	43
82.	114	पंडित दीनदयाल उपाध्याय और गुरू गोबिंद सिंह की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में	44
83.	117	कर-प्रस्ताव	44
84.	130	सामान्य अपवंचन रोधी-नियम (जीएएआर)	45
85.	152	कृषि कल्याण उपकर	45
86.	153	अवसंरचना उपकर	45
87.	156	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	46
88.	160	आय प्रकटन योजना	46
89.	162	नई विवाद निपटान स्कीम	46
90.	164	पूर्व प्रभावी कर देयता संबंधी संशोधन का हटाया जाना	47
91.	165	एकबारगी विवाद निपटान स्कीम	47
92.	166	आय छिपाने पर भारी दंड लगाने के संबंध में	47
93.	168	करदाताओं की याचिकाओं के निपटान के लिए समय-सीमा	48
94.	169	विवादित मांगों का स्थगन किए जाने हेतु निदेश	48

क्रम सं	पैरा सं. (2016-17 के बजट भाषण में)	विषय	पृष्ठ सं.
95.	170	सेस्टेट की 11 नई पीठ	48
96.	172	सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में संशोधन	49
97.	174	13 उपकरों को समाप्त किया जाना	49
98.	176	बिना स्थायी खाता संख्या(पैन) वाले अनिवासियों के लिए प्रावधान में संशोधन	49
99.	178	निविष्टि कर क्रेडिट का प्रतिवर्तन	49
100	179	सीमा-शुल्क अधिनियम में संशोधन	49
101.	180	भारतीय सीमा-शुल्क एकल खिड़की परियोजना	50
102.	181	सीमा-शुल्क बैगेज नियमावली	50
103.	182	कराधान में प्रौद्योगिकी का प्रयोग	50
104.	183	आयकर का ई-निर्धारण	50
105.	184	ई-सहयोग	51
106.	185	अपीलीय आदेश में नब्बे दिन से अधिक के विलंब पर ब्याज	52
107.	186	सीमा-शुल्क के लिए भौतिक नियंत्रण से हटकर रिकार्ड आधारित नियंत्रण अपनाया जाना	52

वर्ष 2016-17 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रास्थिति

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
1.	17	*प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना* को सुदृढ़ किया गया है और इसे मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। इस स्कीम के तहत 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय]	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम(एआईबीपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), हर खेत को पानी (एचकेकेपी) घटक कार्यान्वित किए जा रहे हैं। **पीएमकेएसवाई(एआईबीपी)** आरंभ में एआईबीपी के तहत निर्धारित लक्ष्य 2015-2020 की अवधि के लिए 7.5 लाख हेक्टेयर था। इसमें से 1.2 लाख हेक्टेयर वर्ष 2015-16 में हासिल किए जाने का लक्ष्य था। इन लक्ष्यों की तुलना में 2015-16 के दौरान 2.47 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। 2016-17 के दौरान, एआईबीपी के अंतर्गत चल रही 99 एमएमआई परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से दिसम्बर तक पूरा किए जाने के लिए पहचान की गई थी जिससे 76.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का उपयोग किया जाना सुनिश्चित हो पाता। 2016-17 तक 14.53 लाख हेक्टेयर की लक्षित क्षमता वाली 23 प्राथमिकता। परियोजनाओं को पूरा किए जाने की योजना है। इन 99 परियोजनाओं(केन्द्रीय हिस्सा और राज्य हिस्सा दोनों) के लिए निधियों की व्यवस्था नाबार्ड के जरिए की गई है। 2016-17 के दौरान, 824.90 करोड़ रु. के बजट की तुलना में, 824.90 करोड़ की केन्द्रीय सहायता बजटीय संसाधनों के जरिए प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं को जारी की गई। इसके अलावा, ₹138.2 करोड़ की और केन्द्रीय सहायता नाबार्ड के जरिए जारी की गई है। **पीएमकेएसवाई(एचकेकेपी)** **कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम)** 2015-2019 के लिए कमान क्षेत्र विकास(सीएडी) का लक्ष्य पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 15 लाख हेक्टेयर रखा गया है, जिसमें से 2015-16 के लिए लक्ष्य लगभग 2 लाख हेक्टेयर था। 2015-16 के दौरान, सीएडीडब्ल्यूएम के तहत शामिल सीसीए 5.71 लाख हेक्टेयर था। 2016-17 के दौरान, दिसम्बर, 2019 तक पूरा किए जाने के लिए 99 परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करने के बाद, सीएडीडब्ल्यूएम के लक्ष्य 99 प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं में सीएडी कार्यों के साथ-साथ कार्यान्वयन के लिए संशोधित किए गए हैं तथा इनके लिए निधियां नाबार्ड के जरिए मुहैया कराई गई हैं। 2016-17 के दौरान, अब तक सीएडी कार्यों के लिए 12 प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं को नाबार्ड के जरिए ₹691.75 करोड़ की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			भूतल लघु सिंचाई(एसएमआई) 2015-2019 के लिए एसएमआई के अंतर्गत लक्ष्य, पीएमकेएसवाई के तहत 2.0 लाख हेक्टेयर है जिसमें से 2015-16 के लिए लक्ष्य 0.30 लाख हेक्टेयर था। इसकी तुलना में 2015-16 के दौरान, 1.06 लाख हेक्टेयर की क्षमता सृजित की गई है। 2016-17 के दौरान, ₹148.004 करोड़ की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। उपलब्ध बजट का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है। **जलाशयों का आरआरआर** पीएमकेएसवाई के तहत 2015-16 के लिए आरआरआर के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 1.5 लाख हेक्टेयर है जिसमें से 2015-16 के लिए 0.15 हेक्टेयर का लक्ष्य था। इसकी तुलना में आरआरआर के तहत 0.147 लाख हेक्टेयर की क्षमता सृजित की गई। 2016-17 के दौरान बजटीय अड़चनों के कारण आरआरआर के तहत निधियां जारी नहीं की जा सकीं। संशोधित अनुमान/ एफई के चरण पर अधिक निधियां मांगी जा रही हैं। ***कार्य प्रगति पर***
2.	18	एआईबीपी के तहत जिन 89 सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन लंबे समय से पिछड़ रहा है, उसमें तेजी लाई जाएगी। इससे 80.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने में सहायता मिलेगी। इन परियोजनाओं के लिए अगले साल ₹17,000 करोड़ की आवश्यकता है और अगले पांच वर्षों में ₹86,500 करोड़ की आवश्यकता होगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि इनमें से 23 परियोजनाएं 31 मार्च, 2017 से पहले पूरी कर ली जाएं। [नोडल मंत्रालय/विभागः जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय]	छत्तीसगढ़ के माननीय जलसंसाधन मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति जो राज्यों के परामर्श से पूरी की जाने वाली परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करने के साथ-साथ पीएमकेएसवाई से जुड़े मुद्दों का समाधान भी खोजेगी, ने 2019-20 तक पूरी किए जाने के लिए 99 परियोजनाओं की पहचान की(कुछ परियोजनाओं में चरणबद्ध निर्माण समेत)। इससे 76.03 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का उपयोग सुनिश्चित हो पाएगा। इन 99 परियोजनाओं में से 14.53 लाख हेक्टेयर के लक्षित सिंचाई क्षमता उपयोग वाली 23 प्राथमिकता-। परियोजनाएं 2016-17 तक पूरी किए जाने की योजना है और 12.95 लाख हेक्टेयर के लक्षित सिंचाई क्षमता उपयोग वाली 31 और प्राथमिकता-।। परियोजनाएं 2017-18 तक पूरी किए जाने की योजना है। 48.55 लाख हेक्टेयर के लक्षित सिंचाई क्षमता उपयोग वाली शेष 45 प्राथमिकता-।।। परियोजनाएं दिसम्बर, 2019 तक पूरी किए जाने की योजना है। केन्द्रीय सहायता का निधि पोषण नाबार्ड के जरिए जुटाए जाने हेतु मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, इन परियोजनाओं के लिए राज्यों के हिस्से(यदि संबंधित राज्यों द्वारा अपेक्षित हो) को भी नाबार्ड के जरिए जुटाए जाने को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 7.9.2016 को एक मिशन की स्थापना की गई है। 6.9.2016 को नाबार्ड के साथ एक करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि इससे ऋण लिया जा सके और इसके लिए प्रचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। 2016-17 के दौरान ₹6300 करोड़ के शून्य लागत वाले बाण्ड जारी करने के लिए अपेक्षित अनुमति नाबार्ड को सूचित कर दी गई है ताकि राज्यों के लिए ब्याज दर लगभग 6 प्रतिशत रखी जा सके।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			16 एआईबीपी परियोजनाओं को ₹824.9 करोड़ की केन्द्रीय सहायता जारी किए जाने के अलावा, 34 परियोजनाओं को ₹832.73 करोड़ की केन्द्रीय सहायता की पहली ट्रांश और 9 परियोजनाओं को ₹475.74 करोड़ की दूसरी ट्रांश 2016-17 के दौरान नाबार्ड के जरिए जारी की गई है। इसके अलावा, ₹691.75 करोड़ राशि की 12 परियोजनाओं के लिए कैड कार्यों हेतु केन्द्रीय सहायता भी नाबार्ड के जरिए जारी की गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, झारखंड और मध्यप्रदेश के लिए राज्य के हिस्से हेतु करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। गुजरात को ₹463 करोड़ और महाराष्ट्र को ₹756 करोड़ का राज्य हिस्सा जारी कर दिया गया है तथा जल्द ही महाराष्ट्र को और ₹400 करोड़ जारी किए जाने की संभावना है। अन्य राज्य नाबार्ड को ऋण मंजूरी प्रस्ताव भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं। इन परियोजनाओं के लिए नाबार्ड के तहत दीर्घावधिक सिंचाई निधि(एलटीआईएफ) सृजित की गई है। नाबार्ड को इक्विटी के रूप में ₹500 करोड़ की राशि मुहैया कराई गई है ताकि वह एलटीआईएफ के लिए प्रयोग में ला सके। नाबार्ड के लिए और अधिक इक्विटी की आवश्यकता वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय को सूचित कर दी गई हैं। ***कार्य प्रगति पर***
3.	19	लगभग ₹20,000 करोड़ की प्रारंभिक कार्पस निधि से नाबार्ड में एक समर्पित दीर्घावधिक सिंचाई निधि बनाई जाएगी। ये सब हासिल करने के लिए, 2016-17 में बजटीय सहायता और बाजार उधारों के जरिए कुल ₹12,517 करोड़ का प्रावधान किया गया है। [नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवाएं विभागजल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय]	**तदैव** ***कार्य प्रगति पर***
4.	20	इसके साथ-साथ ₹6,000 करोड़ की अनुमानित लागत पर संपोषणीय भू-जल संसाधन प्रबंधन का एक बड़ा कार्यक्रम तैयार किया गया है, और इसके लिए बहुपक्षीय निधियन का प्रस्ताव है। [नोडल मंत्रालय/विभागः जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय]	विश्व बैंक की सहायता से ₹6,000 करोड़ की लागत पर कार्यान्वित किया जा रहा राष्ट्रीय भूमिगत जल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम, जिससे भूमिगत जल पुनर्भरण में वृद्धि होगी और जल प्रयोग की कार्य दक्षता में सुधार होगा। ऐसा साक्ष्य आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया और संपोषणीय प्रबंधन के लिए क्षेत्र विशिष्ट फ्रेमवर्क के जरिए तथा संस्थाओं को मजबूत बना कर किया जाएगा ताकि समुदाय आधारित भूमिगत जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके। अंतिम ईएफसी नोट वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है। ***कार्य प्रगति पर***
5.	21	वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कम से कम 5 लाख फार्म तालाबों और कुओं तथा जैविक खाद के उत्पादन के लिए 10 लाख कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण मनरेगा	वित्त वर्ष 2016-17 के तहत मनरेगा के तहत श्रम बजट पर चर्चा और संवीक्षा करने के लिए आयोजित अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों में राज्यों ने फार्म तालाबों और वर्मी कम्पोस्ट एनएडीईपी

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		के अंतर्गत आबंटनों का लाभकर उपयोग करके किया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः ग्रामीण विकास मंत्रालय]	तालाबों से संबंधित निर्माण कार्यों के लक्ष्य साझे किए। **वर्मी कम्पोस्ट/एनएडीईपी-10.40 लाख** (0.95 लाख वर्मी कम्पोस्ट/एनएडीईपी निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं, आज की स्थिति के अनुसार, 2.63 लाख वर्मी कम्पोस्ट/एनएडीईपी तालाबों का निर्माण कार्य चल रहा है)। **फार्म तालाब(संशोधित)-8.82 लाख** (4.23 लाख फार्म तालाब पूरे किए जा चुके हैं, 6.09 लाख फार्म तालाबों का कार्य जारी है)। ***कार्य प्रगति पर***
6.	22	मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का अब अधिक उत्साह के साथ कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके जरिए, किसान मृदा के पोषक स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और वे उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मार्च, 2017 तक सभी 14 करोड़ जोतों को शामिल करने का लक्ष्य है। मृदा स्वास्थ्य तथा उर्वरता संबंधी राष्ट्रीय परियोजना हेतु ₹368 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, उर्वरक कंपनियों के 2,000 मॉडल खुदरा बिक्री केंद्रों को अगले तीन वर्षों के दौरान मृदा और बीज परीक्षण सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उर्वरक कंपनियां शहर के कम्पोस्ट का सह-विपणन भी करेंगी जो रासायनिक उर्वरक की क्षमता बढ़ाता है। *स्वच्छ भारत अभियान* के तहत शहर के कचरे को कम्पोस्ट में परिवर्तित करने के लिए एक नीति भी सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। [नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, उर्वरक विभाग]	**कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग** • वर्ष 2014-15 से मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना कार्यान्वित की जा रही है। • 12वीं योजना के लिए कुल परिव्ययः ₹568.54 करोड़ • अब तक, राज्यों को ₹96.03 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। • **की गई प्रगति** एकत्र किए गए मृदा के नमूनेः 233.01 लाख परीक्षण किए गए मृदा के नमूनेः 156.05 लाख जारी किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्डः 425.18 लाख • ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। **उर्वरक विभागः** 03 वर्षों में 2000 मॉडल खुदरा दुकानों की स्थापना • आज तक 800 मॉडल उर्वरक खुदरा दुकानें खोली गई हैं। आशा है कि 2000 मॉडल उर्वरक खुदरा दुकानें खोलने का लक्ष्य निर्धारित समयावधि में पूरा कर लिया जाएगा। शहर के कचरे को कम्पोस्ट में बदलने की नीतिः • भारत सरकार ने सिटी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी है। इस विभाग द्वारा सरकार के अनुमोदन की सूचना देने वाली अधिसूचना 10.2.2016 को जारी कर दी गई है जिसमें सिटी कम्पोस्ट के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए ₹1500 प्रति मी. टन की विपणन विकास सहायता दी गई है। • संबंधित मंत्रालयों/विभागों/प्राधिकरणों से अनुरोध किया गया है कि वे इस अधिसूचना में निहित कार्रवाई योग्य मदों पर उचित कार्रवाई करें। • सिटी कम्पोस्ट के सह-विपणन के लिए शहरों में उत्पादित सिटी कम्पोस्ट के सही उपयोग के प्रयोजनार्थ शहरों को उर्वरक विपणन कंपनियों के साथ जोड़ने का कार्य शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दी गई सूची के अनुसार पूरा किया जा चुका है।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			• सिटी कम्पोस्ट की बिक्री के लिए बाजार विकास सहायता(एमडीए) जारी करने के लिए पृथक बजट शीर्ष बनाया गया है। 2016-17 की अवधि के लिए, ₹15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। • सिटी कम्पोस्ट की बिक्री के संबंध में एमडीए जारी करने के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देश 3.6.2016 को जारी किए गए हैं। संशोधित प्रचालनात्मक दिशानिर्देश सभी संबंधितों के लिए 10.10.2016 को जारी कर दिए गए हैं। • उर्वकर विभाग द्वारा जारी तारीख 28.9.2016 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए विनिर्माण कंपनियों को किसानों को सिटी कम्पोस्ट की सीधी बिक्री करने की अनुमति दी गई। उर्वरक विभाग किसानों को सिटी कम्पोस्ट की बिक्री के संबंध में विनिर्माता को एमडीए जारी करने हेतु दिशानिर्देश तैयार करने के कार्य में लगा है। • एफएमएस और एमएफएमएस(अब आईएफएमएस) के जरिए एमडीए प्रदान करने के लिए अपेक्षित सॉफ्टवेयर प्रचालनरत है। • समन्वय के लिए उर्वरक विभाग, शहरी विकास मंत्रालय और कृषि विभाग के संयुक्त सचिवों की एक संयुक्त समिति गठित की गई है। • उर्वरक कंपनियों ने सिटी कम्पोस्ट के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 100 गांवों को गोद लिया है। • सिटी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर की संचालन समिति गठित की गई है। ***कार्य प्रगति पर***
7.	23	वर्षा सिचिंत क्षेत्रों में, जो कि देश की कृषि योग्य भूमि का लगभग 55 प्रतिशत है, फसल की उपज बढ़ाने के लिए जैविक खेती का संवर्धन किया जा रहा है। इसके लिए, सरकार ने दो महत्वपूर्ण स्कीमें शुरू की हैं। पहली, 'परम्परागत *कृषि विकास योजना'* जिसके अंतर्गत तीन वर्ष की अवधि में 5 लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती की जाएगी। दूसरी, सरकार ने मूल्य श्रृंखला आधारित जैविक खेती स्कीम शुरू की है जो 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास' कहलाती है। मूल्यवर्धन पर जोर दिया जा रहा है ताकि इन भागों में उगाई जाने वाली जैविक उपज को घरेलू और निर्यात बाजार मिल सके। इन स्कीमों हेतु कुल ₹412 करोड़ का प्रावधान किया गया है। [नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग]	**परंपरागत कृषि विकास योजना(पीकेवीवाई)** • पीकेवीवाई (जैविक कृषि योजना) में तीन वर्ष की अवधि में (2017-18 तक) 5 लाख एकड़ भूमि को कवर करने की बात कही गई है। तीन वर्षों में 50-50 एकड़ के 10 हजार कलस्टर्स को कवर करने का लक्ष्य है। इन तीन वर्षों में किसानों को ₹10 हजार प्रति एकड़ मुहैया कराए जाएंगे। • 2015-16 में हुई प्रगतिः 7186 कलस्टर (3,59,300 एकड़) मंजूर किए गए हैं और राज्य सरकारों को ₹ 226.19 करोड़ जारी किए गए हैं। • 2016-17 में हुई प्रगतिः पीकेवीवाई का बजट अनुमान-₹ 297 करोड़ पीकेवीवाई का संशोधित अनुमान-₹ 200करोड़ जारी की गई राशि-20 राज्यों को 121.92 करोड़ रु. शेष 2814 कलस्टरों (1,40,700 एकड़) को मंजूरी दी जाएगी।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन • पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन' अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में कार्यान्वित किया जाएगा। • 2015-16 में हुई प्रगतिः आबंटन-₹125 करोड़ जारी की गई राशि-₹112.11 करोड़ • 2016-17 में हुई प्रगतिः आबंटन-₹100 करोड़ जारी की गई राशि-₹31.22 करोड़ ***कार्य प्रगति पर***
8.	24	दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दालों के लिए ₹500 करोड़ रुपए का आबंटन निर्धारित किया गया है। इसमें शामिल किए गए जिलों की संख्या बढ़ाकर 622 की गई है। [नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग]	• सरकार ने दालों के उत्पादन में वृद्धि को प्राथमिकता दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन(एनएफएसएम) के अंतर्गत 60 प्रतिशत से अधिक बजट दालों के लिए आबंटित है। इस विभाग ने 5 वर्ष के लिए (2016-17 से 2020-21) के लिए एक रोडमैप अपनाया है ताकि 2020-21 तक दालों का 24 मिलियन टन का वार्षिक उत्पादन करने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। • 2016-17 के लिए कुल आबंटन 31.12.2016 की स्थिति के अनुसारः ₹1517.29 करोड़ • 2016-17 के लिए जारी(31.12.2016 की स्थिति के अनुसार) ₹761.61 करोड़ • 2016-17 के लिए लक्ष्यः20.75 मिलियन टन • कवर किए गए जिलों की कुल संख्याः 29 राज्यों के 638 जिले। ***कार्य प्रगति पर***
9.	25	इन केंद्रों की कार्यदक्षता और निष्पादन में सुधार लाने के लिए 674 कृषि विज्ञान केंद्रों के बीच कुल ₹50 लाख की पुरस्कार राशि की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। [नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग]	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दो पुरस्कारों की घोषणा की है जिनका ब्यौरा निम्नानुसार हैः (i) एक राष्ट्रीय पुरस्कार '**पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार**' राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए, एक पुरस्कार ₹25.00 लाख की पुरस्कार राशि का होगा (₹20.00 लाख अवसंरचना विकास के लिए, ₹1.00 लाख कर्मचारियों में बांटने के लिए और ₹4.00 लाख कृषि विज्ञान केन्द्र के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए। (ii) मंडल स्तर पर ग्यारह मंडल पुरस्कार, '**पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार**' मंडल स्तर पर, कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रत्येक मंडल के लिए ग्यारह पुरस्कार होंगे। प्रत्येक पुरस्कार की राशि ₹2.25 लाख होगी (₹1.50 लाख उपस्कर विकास के लिए तथा ₹0.75 लाख कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए)।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			कृषि विज्ञान केन्द्रों से प्राप्त आवेदनों को पुरस्कार संबंधी निर्णय करने वाली समिति ने अंतिम रूप दे दिया है और उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। ये पुरस्कार कृषि विज्ञान केन्द्रों के आगामी सम्मेलन के दौरान पुरस्कार विजेता कृषि विज्ञान केन्द्र को प्रदान किए जाएंगे। ***कार्य प्रगति पर***
10.	26	किसानों की आय के लिए बाजारों की सुलभता बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार, एकीकृत कृषि विपणन स्कीम कार्यान्वित कर रही है, जिसमें साझा ई-मार्किट मंच की परिकल्पना की गई है। इसे चुनिंदा 585 विनियमित थोक बाजारों में काम में लाया जाएगा। राज्यों के एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन करना ई-मंच में शामिल होने के लिए एक पूर्वापेक्षा है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले ही 12 राज्यों ने अपने एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन कर लिया है और वे इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। आने वाले वर्ष में अधिक राज्यों के इस मंच से जुड़ने की आशा है। एकीकृत कृषि विपणन ई-मंच इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग]	• साझे ऑनलाइन प्लेटफार्म पर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को 01.07.2015 को अनुमोदित किया गया था जिससे मार्च, 2018 तक देशभर में 585 थोक विनियमित बाजार एकीकृत हो जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत ₹200 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। • 2016-17 के लिए बजट अनुमानः₹50 करोड़ • 2016-17 के लिए लक्ष्यः 400 बाजारों को साझे ई प्लेटफार्म से जोड़ना **31.12.2016 की स्थितिः** • दस राज्यों में ई-नैम प्लेटफार्म पर बाजारों की संख्या 250 है। • कुल कारोबारः ₹7564.36 करोड़ का 36.80 मी.टन क्विंटल जिन्स का व्यापार ***कार्य प्रगति पर***
11.	28	हम *प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना* को इस तरह कार्यान्वित कर रहे हैं जैसी पहले कभी नहीं की गई। यह स्कीम विगत में वित्त संसाधनों की कमी से ग्रस्त रही है। 2012-13 और 2013-14 में आबंटन केवल क्रमशः ₹8,885 करोड़ और ₹9,805 करोड़ था। हमने पिछले दो वर्षों में आबंटन काफी बढ़ाया है और अब 2016-17 में ₹19,000 करोड़ आबंटित किए गए हैं। राज्यों के हिस्से को मिलाकर, 2016-17 में कुल लगभग 27,000 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किए जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम को पूरा करने का लक्ष्य 2021 की बजाय अब 2019 निश्चित किया जाए और 2.23 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके बाकी 65,000 पात्र बस्तियों को जोड़ दिया जाए। तदनुसार, निर्माण की प्रगति जो 2011-14 के दौरान के औसत 73.5 किलोमीटर की तुलना में, इस समय प्रतिदिन 100 किलोमीटर है, उसे काफी हद तक बढ़ाया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः ग्रामीण विकास मंत्रालय]	• 9 राज्यों की पहचान की गई है जहां शेष बड़े कार्य बाकी हैं; 9 राज्यों में से 8 राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ समीक्षा की गई है, राज्यवार मासिक और वार्षिक पूर्णता लक्ष्य नियत किए गए हैं। मंत्रालय ने 9 राज्यों का दौरा करने के लिए टीमें गठित की हैं और लंबित कार्यों की प्रास्थिति और उनके संबंध में की गई प्रगति की बारीकी से समीक्षा की जा रही है। • 2015-16 और 2016-17 के दौरान, मंत्रालय ने केरल, मध्यप्रदेश, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, असम और मिजोरम में 26421.3 करोड़ रु. मूल्य की 44947.231 कि.मी. लम्बी 10,894 सड़कों और 723 पुलों के लिए मंजूरी दी है। • इस समय 1,760 बस्तियों को नए सड़क संपर्क मुहैया कराने के लिए ₹5589.98 करोड़ मूल्य की 8906.26 कि.मी. लम्बी 1973 सड़कों(483 पुल) से संबंधित प्रस्ताव मंत्रालय में स्वीकृति के लिए कार्यान्वयनाधीन है।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			• सड़क संपर्क से वंचित पात्र बस्तियों की मौजूदा संख्या 56,943 है(घोषणा में उल्लिखित 65,000 बस्तियों की तुलना में)। इसमें से 12,599 बस्तियों को मंजूरी दी जानी है और 44,344 बस्तियों को मंजूरी दी जा चुकी है लेकिन अभी सड़क संपर्क मुहैया कराया जाना है। • निर्मित किए जाने वाले शेष कि.मी. की मौजूदा प्रास्थिति 1,77,523.19 है(बजट घोषणा में उल्लिखित 2,23,000 कि.मी. की तुलना में)। • औसत प्रतिदिन निर्माण लक्ष्य(2016-17) 133 कि.मी. प्रति दिन है। जनवरी, 2017 तक उपलब्धि 114 कि.मी. प्रतिदिन है। ***कार्य प्रगति पर***
12.	30	किसानों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। 2015-16 में 8.5 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में, 2016-17 में कृषि ऋण के लिए लक्ष्य अब तक का सबसे अधिक ₹9 लाख करोड़ होगा। किसानों पर ऋण अदायगी के भार को कम करने के लिए, बजट अनुमान 2016-17 में ब्याज सहायता के लिए ₹15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। [नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग;वित्तीय सेवाएं विभाग]	**कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभागः** ब्याज सहायता योजना 2016-17 से आगे कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग से हटाकर कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग को अंतरित कर दी गई है। मंत्रिमंडल का अनुमोदन 5.7.2016 को प्राप्त कर लिया गया है। **कुल बजट आबंटन - ₹15,000 करोड़** **31.12.2016 की स्थिति** **व्ययः ₹12,558.63 करोड़** (₹4127.72 करोड़ नाबार्ड को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के दावों के निपटान के लिए जारी कर दिए गए हैं)। ₹8430.91 करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के दावों के निपटान के लिए जारी कर दिए गए हैं। बजट आबंटन में शेषः ₹2441.37 करोड़ **वित्तीय सेवाएं विभागः** 2016-17 के लिए क्षेत्रवार और एजेंसीवार कृषि ऋण संबंधी लक्ष्य भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, आईबीए, पीएसबी को सूचित कर दिए गए हैं। ***कार्य प्रगति पर***
13.	31	सरकार ने अति महती और अग्रणी स्कीम अर्थात *प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना* का अनुमोदन किया है। इस स्कीम के कारगर कार्यान्वयन के लिए मैंने बजट 2016-17 में ₹5,500 करोड़ का प्रावधान किया है। [नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवाएं विभाग;कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग]	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में - ब.अ. 2016-17 में 5500 करोड़ रु. और दूसरे पूरक अनुदान के बाद ₹13240.04 करोड़ आबंटित किए गए हैं।। पीएमएफबीवाई खरीफ 2016 में 21 राज्यों में शुरू की गई थी और 374.137 लाख किसान इसमें शामिल कर लिए गए हैं (आंकड़े अनन्तिम) तथा ₹1,41,487.7 करोड़ की राशि से 388.648 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा कर दिया गया है। ***कार्य प्रगति पर***
14.	32	हमें यह सुनिश्चित करना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ देश भर के किसानों को मिले। इसके लिए, 2016-17 में तीन विशिष्ट उपाय किए जांएगे।	**कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग** • यह विभाग अपनी केन्द्रीय एजेंसियों नामतः नेफेड, एसएफएसी, सीडब्ल्यूसी, एनसीसीएफ और एफसीआई के जरिए सरकार

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		पहला, शेष राज्यों को विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरा, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से ऑनलाइन अधिप्राप्ति प्रणाली शुरू की जाएगी। इससे वास्तविक अधिप्राप्ति के पूर्व पंजीकरण और मॉनीटरिंग के जरिए पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को सुविधा होगी। तीसरा, दालों की खरीद के लिए कारगर प्रबंध किए गए हैं। [नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग;खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग]	द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर तिलहन, दालों और कपास की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना(पीएसएस) कार्यान्वित करता है। • यह योजना संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर कार्यान्वित की गई है जो खरीदी गई जिन्स पर मंडी कर से छूट देने और संभारिकी व्यवस्था में केन्द्रीय नोडल एजेंसियों की मदद करने पर सहमत होते हैं। इनमें बोरियों की व्यवस्था करना, राज्य अभिकरणों के लिए कार्यकर पूंजी उपलब्ध कराना, पीएसएस प्रचालनों के लिए चल निधि स्थापित करना आदि शामिल है, जैसाकि योजना के दिशा-निर्देशों के तहत अपेक्षित है। • पीएसएस का मूल उद्देश्य उत्पादनकर्ताओं को उनके उत्पाद के लिए लाभकर मूल्य देना है ताकि अधिक निवेश और उत्पादन करने को प्रोत्साहन दिया जा सके और मध्यस्थता की कम लागत के साथ उचित कीमतों पर आपूर्ति करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभागः** राज्यों को खाद्यान्नों की विकेन्द्रित खरीद प्रणाली(डीसीपी) अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज की स्थिति के अनुसार, 14 राज्यों ने डीसीपी को पूरी तरह अपना लिया है और एक राज्य अर्थात् राजस्थान ने आंशिक रूप से अपनाया है। केएमएस 2016-17 में एक राज्य अर्थात् महाराष्ट्र पूरी तरह डीसीपी प्रणाली को अपना लेगा जबकि एक और राज्य झारखंड आंशिक रूप से डीसीपी प्रचालन शुरू करेगा। एफसीआई ने केएमस 2016-17 के लिए खाद्यान्न की ऑनलाइन खरीद को कार्यान्वित करने के लिए डिपो ऑनलाइन सिस्टम में ई-खरीद मॉड्यूल विकसित किया है। एफसीआई द्वारा प्रयोक्ता परीक्षण कर लिया गया है और इस सॉफ्टवेयर को केएमएस 2016-17 में इस्तेमाल किया जाएगा। खरीद करने वाले सभी राज्यों को ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम(ओपीएमएस) अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 12 राज्यों ने ओपीएमएस पूरी तरह कार्यान्वित कर लिया है जबकि 3 और राज्यों ने आंशिक रूप से कार्यान्वित किया है। आशा है कि केएमएस 2016-17 में तीन और राज्य ओपीएमएस शुरू कर लेंगे। असम में एफसीआई स्वयं जनवरी, 2017 से ई-खरीद शुरू करेगा। ***कार्य प्रगति पर***
15.	33	किसान अपनी पारिवारिक आय को बढ़ाने के लिए अन्य संबद्ध कार्यकलाप भी करते हैं। किसानों के लिए डेयरी-उद्योग को अधिक लाभदायक बनाने के लिए, चार नई परियोजनाएं प्रारंभ की जाएंगी पहला, 'पशुधन *संजीवनी',* जो पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम है और जिसमें पशु स्वास्थ्य कार्ड *(नकुल स्वास्थ्य पत्र)* का प्रावधान है; दूसरा, एक उन्नत ब्रीडिंग प्रौद्योगिकी;	पशु-पालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग ने तीन वर्ष की अवधि में ₹825 करोड़ के आवंटन के साथ, राष्ट्रीय गोधन उत्पादकता मिशन के कार्यान्वयन के लिए 3.11.2016 को प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया है। इस मिशन के चार घटक हैं नामतः पशुसंजीवनी, उन्नत प्रजनन प्रौद्योगिकी, ई-पशुधन हाट-नकुल प्रजनन बाजार तथा देसी नस्लों के लिए राष्ट्रीय गोधन जेनोमिक केन्द्र। इस मिशन को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय संचालन

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		तीसरा, *'ई-पशुधन हाट'* का सृजन, जो ब्रीडर और किसानों को परस्पर जोड़ने के लिए एक ई-मार्किट पोर्टल है; और चौथा, देसी प्रजनन के लिए एक राष्ट्रीय जेनोमिक केंद्र। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन आने वाले कुछ वर्षों में ₹850 करोड़ की लागत से किया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः पशु पालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग]	समिति और परियोजना कार्यान्वयन एवं तकनीकी समिति गठित कर ली गई हैं। ***कार्रवाई पूर्ण।***
16.	34	शहद के उत्पादन में महत्तर वृद्धि हो रही है जो वर्ष 2013-14 के 18 से 20 किलोग्राम प्रति बॉक्स प्रतिवर्ष की औसत से बढ़कर, वर्ष 2015-16 तक 25 किलोग्राम प्रति बॉक्स प्रतिवर्ष हो गई है। देश में शहद का कुल उत्पादन वर्ष 2014-15 के 76,150 मीट्रिक टन से बढ़कर अब 86,500 मीट्रिक टन हो गया है। अब 90 प्रतिशत घरेलू शहद का निर्यात किया जाता है। [नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग]	• सुपर्स (20 फ्रेम) के साथ प्रति कॉलोनी शहद का उत्पादन बढ़कर 2015-16 के दौरान 25 किलोग्राम हो गया है। • इसी प्रकार, शहद का कुल उत्पादन 2014-15 के 76,500 मी.टन से बढ़कर 2015-16 में 88,900 मी.टन हो गया है। 2016-17 के दौरान, 94,500 मी.टन उत्पादन होने का अनुमान है। • देश में उत्पादित शहद के 50 प्रतिशत से अधिक का अथवा एपियरी शहद के 75-80 प्रतिशत का इन देशों को निर्यात किया जाता है नामतः संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, नेपाल, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, लीबिया, कुवैत, यूरोपीय संघ इत्यादि। • यह उपलब्धि राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के जरिए भारत सरकार द्वारा किए गए निम्नलिखित उपायों के परिणामस्वरूप हासिल हुई हैः- i) देश में वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन ii) एकीकृत मधुमक्खी पालन केन्द्रों (आईबी-डीसी) / उत्कृष्टता केन्द्रों(सीओई) की स्थापना iii) मधुमक्खी पालकों का पंजीकरण। 10.63 लाख कॉलोनी वाले 6421 मधुमक्खी पालक/मधुमक्खी पालन और शहद सोसायटियों/फर्मों/कंपनियों इत्यादि का पंजीकरण किया गया है(31 दिसम्बर,2016 की स्थिति के अनुसार)। iv) मधुमक्खी पालकों के स्वयं सहायता समूहों की स्थापना को सुसाध्य बनाना। v) वैज्ञानिक तरीकों से मधुमक्खी पालन से संबंधित प्रशिक्षण और संगोष्ठियां आयोजित करना। vi) फलों, सब्जियों, तिलहनों, दालों इत्यादि सहित विभिन्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मधुमक्खियों/ मधुमक्खी पालन की भूमिका के बारे में किसानों और मधुमक्खी पालकों के बीच के जागरूकता पैदा करना। इसके अलावा, देश में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए, परियोजना/स्कीमों को अनुमोदित किया गया है नामतः समेकित वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन विकास(आईडीएसबी) को विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत उनके कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित/ अनुमोदित किया गया है। ये स्कीमें हैं अर्थात् राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन(एनएफएसएम)। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
17.	36	14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सहायता अनुदान के रूप में ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं को ₹2.87 लाख करोड़ की राशि दी जाएगी। यह पिछले पांच वर्षों की अवधि की तुलना में 228 प्रतिशत की महत्तर वृद्धि है। इस निधि के मौजूदा आबंटन से प्रति ग्राम पंचायत औसतन ₹80 लाख से अधिक और प्रति शहरी स्थानीय निकाय ₹21 करोड़ से अधिक की सहायता मिलेगी। ये अधिक आबंटन गांवों एवं छोटे शहरों का कायाकल्प कर सकते हैं। इसे कार्यरूप देने के लिए पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों के साथ कार्य करेगा और दिशानिर्देश तैयार करेगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः पंचायती राज मंत्रालय]	राज्यों को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के भीतर ही 14वें वित्त आयोग के अनुदानों को प्रयोग किए जाने के संबंध में सामान्य दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। एफएफसी अनुदान प्राप्त करने वाले सभी 26 राज्यों को राज्य-विशिष्ट दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
18.	37	सूखा और ग्रामीण आपदा वाले क्षेत्रों पर ध्यान दिए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। इन आपदाग्रस्त क्षेत्रों के प्रत्येक ब्लॉक को *दीन दयाल अन्त्योदय मिशन* के तहत एक विशिष्ट ब्लॉक के रूप में लिया जाएगा। बहुविध आजीविका के प्रोत्साहन के लिए स्व-सहायता समूहों के गठन की प्रक्रिया तेज की जाएगी। मनरेगा के तहत क्लस्टर सुविधा टीमों का गठन किया जाएगा जो जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को सुनिश्चित करेंगी। इन जिलों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भी प्राथमिकता दी जाएगी। [नोडल मंत्रालय/विभागः ग्रामीण विकास मंत्रालय,जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय]	**ग्रामीण विकास मंत्रालय** • पीएमकेएसवाई के अंतर्गत शामिल जिलों के सम्बन्ध में सभी राज्यों को सलाह दी गई है कि वे जिला कार्यान्वयन योजनाओं (डीआईपी) को तैयार करने में सूखा प्रभावित जिलों को तरजीह दें। • 235 डीआईपी तैयार की जा चुकी हैं। **डीएवाई- एनआरएलएम** • सभी राज्यों को पत्र जारी किया गया है जिसमें यह सूचित किया गया है कि 2016-17 के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय सूखाग्रस्त और ग्रामीण आपदाग्रस्त के क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया जाए। • गहन कार्यनीति के अंतर्गत 1562 ब्लाकों में से इस समय 1162 ब्लाकों और गहन-इतर कार्यनीति के अंतर्गत 21 ब्लाकों में डीएवाई-एनआरएलएम कार्यान्वित किया जा रहा है। • 1034 ब्लाकों में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। • ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) इन 100 जिलों में से 87 जिलों में स्वरोजगार के लिए युवाओं को कौशल प्रदान कर रहे हैं। • राज्यों से कहा गया है कि वे इन सूखा प्रभावित और ग्रामीण आपदाग्रस्त जिलों में मनरेगा के तहत क्लस्टर फेसिलिटेशन टीम (सीएफटी) स्थापित करें। इस समय 9 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 207 ब्लाकों में सीएफटी परियोजना चलाई जा रही है। • ग्रामीण विकास मंत्रालय नियमित रूप से राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्यवाही कर रहा है। इस समय, 9 राज्यों के 207 ब्लॉकों में सीएफटी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय एआईबीपी के अंतर्गत 99 प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं में से 56 परियोजनाएं देश के सूखा संभावित क्षेत्रों को लाभ पहुंचाती हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे पीएमकेएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के साथ-साथ उन्हें निम्नलिखित क्रम में जिला सिंचाई योजनाओं में शामिल करें: • सूखा संभावित क्षेत्र, • समस्याग्रस्त भूमिगत जल ब्लॉक, • जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्र, वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र इत्यादि. ***कार्य प्रगति पर***
19.	39	श्यामाप्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन जिसका शुभारंभ हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, के तहत 300 ग्रामीण-शहरी क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। ये क्लस्टर किसानों के लिए अवसंरचना सुविधाएं और बाजार पहुंच सुलभ कराकर, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास केंद्रों का परिपोषण करेंगे। ये युवाओं के लिए अधिक रोजगार अवसर भी प्रदान करेंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागः ग्रामीण विकास विभाग]	मिशन के पहले चरण में, 28 राज्यों में 100 ग्रामीण शहरी क्लस्टरों की पहचान की गई है और अनुमोदित किए गए हैं। इन क्लस्टरों के विकास के लिए ब्लू प्रिंट समेकित क्लस्टर कार्य योजनाएं, 22 राज्यों द्वारा 73 ग्रामीण शहरी क्लस्टरों के लिए तैयार और प्रस्तुत की गई हैं तथा अनुमोदित कर दी गई हैं। इस समय आबंटित 600 करोड़ रु. में से ₹404.74 करोड़ जारी कर दिए गए हैं और इन क्लस्टरों में जमीन पर कार्य शुरू हो चुका है। शेष 6 राज्य अपनी योजनाएं तैयार कर रहे हैं और उन्हें मंत्रालय को प्रस्तुत करने के अंतिम चरण में है। इससे मिशन के चरण-I में अनुमोदित सभी 98 क्लस्टरों के लिए जमीन पर यथासमय कार्य शुरू करना सुनिश्चित हो पाएगा। मिशन के चरण-II के अंतर्गत राज्य 100 और ग्रामीण शहरी क्लस्टरों के दूसरे बैच की पहचान कर रहे हैं। अब तक 44 क्लस्टरों को अनुमोदित किया जा चुका है। चरण-II के सभी क्लस्टरों को फरवरी, 2017 के अंत तक अनुमोदित कर दिया जाएगा। ***कार्य प्रगति पर***
20.	40	1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार, कुल 18,542 गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2015 को राष्ट्र को किए गए अपने सम्बोधन में यह घोषणा की थी कि शेष गांवों का विद्युतीकरण अगले 1000 दिनों में कर लिया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः विद्युत मंत्रालय]	अब तक बिजली की सुविधा से वंचित 18,452 गांवों में से, 19.12.2016 तक 11,327 गांवों (61.38 प्रतिशत) को बिजली पहुंचाई जा चुकी है। ***कार्य प्रगति पर***
21.	41	23 फरवरी, 2016 तक, 5542 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। यह पिछले तीन वर्षों में हासिल की गई कुल उपलब्धियों से भी अधिक है। सरकार 1 मई, 2018 तक शत-प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास स्कीमों हेतु ₹8,500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। [नोडल मंत्रालय/विभागः विद्युत मंत्रालय]	• भारत सरकार ने विद्युतीकरण के लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिन्हें 1 मई 2018 तक चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा। • 2015-16 के दौरान, 5686 गावों के विद्युतीकरण के लक्ष्य की तुलना में, 7108 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। • 2016 -17 में 8360 गांवों के लक्ष्य की तुलना में, 19.12.2016 की स्थिति के अनुसार, 4219 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्राप्तिस्थिति
			• 2015-16 के दौरान, डीडीयूजीजेवाई के लिए आवंटित 4500 करोड़ रुपए की संपूर्ण राशि विद्युत मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को जारी कर दी गई। • डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के अंतर्गत, ₹8500 करोड़ के बजट आवंटन में से, 26.12.2016 तक ₹5448.03 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण।***
22.	42	*स्वच्छ भारत मिशन,* विशेष कर ग्रामीण भारत में स्वच्छता और सफाई की स्थिति सुधारने का भारत का सबसे बड़ा अभियान है। यह विषय राष्ट्रपिता के हृदय के करीब था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार, संसद में स्वच्छता पर एक व्यापक बहस की गई। यह लगभग प्रत्येक परिवार में चर्चा का विषय बन गया है। हमने स्वच्छता के संबंध में शहरी क्षेत्रों के श्रेणीकरण की शुरूआत की है जिसके फलस्वरूप नगरों और शहरों के बीच एक रचनात्मक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए ₹9000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। [नोडल मंत्रालय/विभागः पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]	• वर्ष 2016-17 के दौरान, 9000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में, 8.12.2016 तक ₹6917.26 करोड़ इस्तेमाल किए जा चुके हैं। • 2016-17 में 1.50 करोड़ घरेलू शौचालयों के लक्ष्य की तुलना में, 8.12.2016 तक 110.58 लाख शौचालय निर्मित किए जा चुके हैं। • 8.12.2016 की स्थिति के अनुसार, 66 जिले, 702 ब्लॉक, 56769 ग्राम पंचायतें और 126900 गांव खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) प्राप्त कर चुके हैं। • पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने भारतीय गुणवत्ता परिषद के जरिए "स्वच्छ सर्वेक्षण- ग्रामीण 2016" आयोजित करवाया। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट 8.9.2016 को जारी की गई। • ग्राम स्वच्छता सूचकांक गांव में स्वच्छता के स्तर को मापने के लिए तैयार किया गया है। इसमें सुरक्षित शौचालयों की सुलभता तथा यह कारक भी शामिल है कि क्या घरों और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई दिखाई देती है। आईएमआईएस किसी भी गांव को ग्राम सभा में स्वयं अपना ग्रामीण स्वच्छता सूचकांक निर्धारित करने में और अपनी स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने में समर्थ बनाता है। ***कार्य प्रगति पर***
23.	43	इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए, उन गांवों को पुरस्कृत करने हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों से प्राथमिकता प्राप्त आबंटन किया जाएगा, जो खुले में शौच करने की समस्या से मुक्त हो चुके हैं। [नोडल मंत्रालय/विभागः पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]	• सभी राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों को पत्र लिखे गए हैं कि वे ओडीएफ गांवों में अपने कार्यक्रमों को प्राथमिकता दें। • वित्त मंत्रालय ने 17 केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों को पत्र जारी किया है कि वे ओडीएफ गांवों में अपने कार्यक्रमों को प्राथमिकता दें। ***कार्य प्रगति पर***
24.	44	हमें अपनी आबादी से और अधिक लाभ उठाने की आवश्यकता है। हमें ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता का प्रसार करना होगा। 16.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, 12 करोड़ परिवारों के पास कम्प्यूटर नहीं है और इन परिवारों में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो डिजिटल दृष्टि से साक्षर हो। हम डिजिटल साक्षरता	ईएफसी ने 6 जुलाई 2016 को हुई अपनी बैठक में एक प्रस्ताव की सिफारिश की, जिसका शीर्षक है "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान" (पीएमजीडीआईएसएचए)। इसका उद्देश्य 3 वर्ष की अवधि में ₹2351.38 करोड़ के कुल परिव्यय से ग्रामीण भारत में 6 करोड़ लाभ प्राप्तकर्ताओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		को बढ़ावा देने के लिए दो स्कीमें पहले ही अनुमोदित कर चुके हैं। ये स्कीमें हैं - राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन; और डिजिटल साक्षरता अभियान (दिशा)। अब हम ग्रामीण भारत हेतु एक नई डिजिटल साक्षरता मिशन स्कीम आरंभ करने जा रहे हैं जिसमें अगले 3 वर्षों के भीतर लगभग 6 करोड़ और परिवारों को शामिल किया जाएगा। इस स्कीम का ब्यौरा अलग से दिया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय]	इस योजना के लिए मंत्रिमंडल हेतु मसौदा टिप्पणी को अंतिम रूप दे दिया गया है और उसे अभिमत हेतु परिचालित कर दिया गया है। **कार्य प्रगति पर**
25.	45	विवादमुक्त स्वामित्व बनाने के लिए भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को डिजिटल इंडिया पहल के तहत नवीकृत किया गया है और इसे 1 अप्रैल, 2016 से केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। इस नवीकृत कार्यक्रम से एक समेकित भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली तैयार होगी। इस प्रयोजनार्थ ₹150 करोड़ की व्यवस्था की गई है। [नोडल मंत्रालय/विभागः :भू-संसाधन विभाग]	डिजिटल भारत भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) 2016-17 से केन्द्र द्वारा 100 प्रतिशत वित्तपोषित स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक, 2016-17 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ₹11.72 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी जा चुकी है। भूमि अधिकारों के रिकार्ड का कंप्यूटरीकरणः केडस्ट्रल मानचित्रों का डिजीटाइजेशन; अधिकारों के रिकार्ड(पाठ) और केडस्ट्रल मानचित्रों(स्थानिक) का एकीकरण, पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण, उप-पंजीयक के कार्यालयों और तहसील/राजस्व कार्यालयों के बीच संपर्क तथा पंजीकरण एवं भूमि रिकार्डों के एकीकरण का कार्य भी अन्य कार्यों के अलावा डीआईएलआरएमपी के अंतर्गत किया जा रहा है। भूमि रिकार्डों के पंजीकरण के एकीकरण के संबंध में 2016-17 में प्राथमिकता दिए जाने के लिए राज्यों के साथ परामर्श करके 18 राज्यों में तीस जिलों की पहचान की गई है। संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक व्यापक प्रायोगिक परियोजना 31.05.2016 को शुरू की गई है। ***कार्य प्रगति पर***
26.	46	*पंचायती राज* संस्थाओं को अभिशासन क्षमता विकसित करनी होगी ताकि सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। इसलिए एक नई पुनर्संरचित स्कीम, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरू करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 2016-17 में ₹655 करोड़ रखे गए हैं। [नोडल मंत्रालय/विभागः पंचायती राज मंत्रालय]	आरजीएसए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और आरजीएसए स्कीम से संबंधित मसौदा नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ परामर्श किए जाने के लिए तैयार है। ***कार्य प्रगति पर***
27.	50	हमने गरीब परिवारों की महिला सदस्यों के नाम से एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के लिए एक विशाल मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। मैंने इन एलपीजी कनेक्शनों को मुहैया कराने की आरंभिक	कार्यान्वित। 2016-17 के दौरान 1.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए जाने के लक्ष्य की तुलना में 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें 653 जिले शामिल हैं, में इस योजना के अंतर्गत 1.44 करोड़ से अधिक कनेक्शन जारी किए गए हैं। 22.12.2016 की

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		लागत पूरी करने के लिए इस वर्ष के बजट में ₹2,000 करोड़ की व्यवस्था की है। इससे 2016-17 में लगभग 1 करोड़ 50 लाख बीपीएल परिवारों को लाभ होगा। यह स्कीम कम से कम दो वर्ष तक जारी रहेगी ताकि इसके तहत कुल 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को शामिल किया जा सके। इससे देश भर में रसोई गैस की सर्वसुलभ कवरेज सुनिश्चित होगी। इस उपाय से महिलाओं का सशक्तीकरण होगा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। इससे भोजन बनाने की मेहनत और उसमें लगने वाला समय कम हो जाएगा। इससे रसोई गैस की आपूर्ति श्रृंखला में ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय]	स्थिति के अनुसार, 653 जिलों में से 550 जिलों में प्रत्येक जिले में कम से कम एक कनेक्शन जारी किया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
28.	52	गंभीर बीमारियां अप्रत्याशित और बड़े खर्च का अकेला सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं जो प्रति वर्ष लाखों परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे ले जाता है। परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमारी गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की आर्थिक स्थिति पर भारी असर डालती है और उनकी आर्थिक सुरक्षा की बुनियाद हिला देती है। ऐसे परिवारों की मदद करने के लिए, सरकार एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम शुरू करेगी जिसमें प्रति परिवार एक लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा। इस श्रेणी के 60 वर्ष और इससे अधिक की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ₹30,000 का एक अतिरिक्त टॉप अप पैकेज दिया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवाएं विभाग,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग]	ऐसे राज्यों में जहां आरएसबीवाई कार्यान्वित की जा रही है, वहां 01.04.2016 से वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (एससीएचआईएस) शुरू की गई है। प्रति परिवार ₹1,00,000 की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना की रूपरेखा तय करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर पर अनेक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने 70वें स्वतंत्रता दिवस को दिए गए अपने भाषण में निर्धन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की थी जिसमें यह सरकार प्रतिवर्ष 1 लाख रू. तक की चिकित्सा सुविधाओं के लिए कवरेज मुहैया कराएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना(एनएचपीएस) के संबंध में मंत्रिमंडल टिप्पणी, मंत्रिमंडल के विचारार्थ 25.10.2016 को मंत्रिमंडल सचिवालय को विचारार्थ अग्रेषित कर दी गई है। ***कार्य प्रगति पर***
29.	53	किफायती कीमतों पर स्तरीय औषधियां बनाना एक मुख्य चुनौती रही है। हम जेनेरिक औषधियों की आपूर्ति को बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री की *जन औषधि योजना* के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान 3,000 स्टोर खोले जाएंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागः भेषज विभाग]	जन औषधि योजना का नया नाम अब प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना' (पीएमबीजेपी) कर दिया गया है और तदनुसार, जन औषधि स्टोर अब प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र' (पीएमबीजेके) कहलाए जाते हैं। भेषज विभाग ने पीएमबीजेके खोलने के लक्ष्य को पूरा करने के अपने प्रयासों में तेजी ला दी है। 2016-17 के दौरान, निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने और योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम फार्मा ब्यूरो को ₹35.00 करोड़ जारी किए गए हैं। देश में 683 पीएमबीजेके खोले गए हैं। उत्पाद समूह 600 से अधिक दवाओं और 154 सर्जिकल तथा चिकित्सीय उत्पादों के स्तर तक पहुंच चुका है। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
30.	54	भारत में प्रतिवर्ष गुर्दे की बीमारी के अंतिम चरण पर पहुंच चुके 2.2 लाख नए रोगियों की बढ़ोतरी हो रही है जिसके परिणामस्वरूप, 3.4 करोड़ डाइलिसिज़ सत्रों की अतिरिक्त मांग बढ़ गई है। भारत में लगभग 4,950 डाइलिसिज़ केंद्र हैं जो मुख्यतः निजी क्षेत्र में और प्रमुख नगरों में हैं। इस वजह से केवल आधी मांग की ही पूर्ति होती है। प्रत्येक डाइलिसिज़ सत्र के लिए लगभग ₹2,000 का खर्च आता है, जो प्रतिवर्ष ₹3 लाख से अधिक बैठता है। इसके अलावा, अधिकतर परिवारों को डाइलिसिज़ सेवाओं के लिए अक्सर लंबी दूरी तय करके, कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिनसे यात्राओं पर भारी खर्च होता है और मजदूरी की हानि होती है।	इसे पैरा सं. 55 के साथ पढ़ा जाए।
31.	55	इस स्थिति का समाधान करने के लिए, मैं 'राष्ट्रीय डाइलिसिज़ सेवा कार्यक्रम' की शुरूआत करने का प्रस्ताव करता हूं। सभी जिला अस्पतालों में डाइलिसिज़ सेवाएं मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकारी निजी भागीदारी मोड के जरिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसकी लागत को कम करने के लिए, मैं डायलिसिज़ उपकरणों के कुछ हिस्से-पुर्जों पर बुनियादी सीमा-शुल्क, उत्पाद/सीवीडी और एसएडी से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। [नोडल मंत्रालय/विभागः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग]	मंत्रालय ने राज्य सरकारों और विशेषज्ञों के साथ गहन परामर्श करने के बाद राष्ट्रीय डायलिसिज़ कार्यक्रम संबंधी दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया है और उन्हें राज्यों के साथ साझा किया है। सभी राज्यों से तत्काल अनुरोध किया गया कि वे 2016-17 की अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में राष्ट्रीय डायलिसिज़ कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रस्ताव शामिल करें। सभी राज्यों को अनुमोदन प्रदान कर दिए गए हैं और अब तक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिज़ सेवाओं के लिए ₹15325.20 लाख की राशि की मंजूरी दी जा चुकी है। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
32.	56	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी सफल व्यावसायिक उद्यम शुरू करने और उन्हें सफलतापूर्वक चलाकर बड़ी आशा जगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने का आह्वान किया है ताकि वे नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने वाले बन सकें। मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'स्टैण्ड अप इंडिया स्कीम' को मंजूरी दे दी है। इस प्रयोजनार्थ 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। यह स्कीम प्रत्येक श्रेणी के एक उद्यमी के लिए, प्रति बैंक शाखा कम से कम ऐसी दो परियोजनाओं को मदद देगी। इस स्कीम से कम से कम 2.5 लाख उद्यमी लाभान्वित होंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवाएं विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय]	स्टैंड अप इंडिया स्कीम माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 5 अप्रैल, 2016 को आरंभ की गई। बैंकों को इस स्कीम के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया है। निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। अब तक, बैंकों द्वारा 16021 लाभानुभोगियों को ₹1623.84 करोड़ की राशि संवितरित की जा चुकी है। 30.6.2016 को राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी न्यास को ₹500 करोड़ की राशि जारी की गई है। ***कार्रवाई पूर्ण।***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
33.	57	हम डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती मना रहे हैं। यह वर्ष अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए आर्थिक सशक्तीकरण का वर्ष होना चाहिए। हमने उद्यमिता पारि-तंत्र निर्मित करने के संबंध में, दलित भारत वाणिज्य और उद्योग मंडल के साथ विस्तृत वार्ता की है। उद्योग संघों के साथ भागीदारी करके सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति केंद्र बनाने का प्रस्ताव है। यह केंद्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराएगा ताकि केंद्र सरकार की अधिप्राप्ति नीति 2012 के अंतर्गत दायित्व पूरे किए जा सकें, वैश्विक स्तर पर श्रेष्ठ परिपाटियों को अपनाया जा सके और 'स्टैण्ड अप इंडिया' पहल का लाभ उठाया जा सके। [नोडल मंत्रालय/विभागः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय]	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति केन्द्र स्थापित किया गया है। इस केन्द्र का शुभारंभ 18.10.2016 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। यह केन्द्र एमएसएमई के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। ***कार्रवाई पूर्ण।***
34.	58	अल्पसंख्यकों के कल्याण तथा कौशल विकास की स्कीमों जैसे कि बहु-क्षेत्रकीय विकास कार्यक्रम तथा 'उस्ताद' स्कीम का कारगर कार्यान्वयन किया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय]	**बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम(एमएसडीपी)** • एमएसडीपी के अंतर्गत, वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹546.59 करोड़ मूल्य की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 30.11.2016 की स्थिति के अनुसार, पहली और दूसरी किस्त के तौर पर राज्य सरकारों को ₹426.06 करोड़ की निधियां जारी की गई हैं। • सचिव(एमए) द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस अनुरोध के साथ 13.7.2016 और 7.12.2016 को अर्धशासकीय पत्र लिखे गए हैं कि वे उपयोग प्रमाण-पत्र, तिमाही प्रगति रिपोर्टें और एमएसडीपी के अंतर्गत शेष आवंटित राशि के लिए परियोजना प्रस्ताव भेजें। • लम्बित मुद्दों के समाधान में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ अधिकार-प्राप्त समिति की बैठकें करके, दूरभाष पर बात करके और अधिकारियों के दौरों के जरिए निरंतर संपर्क बनाए रखा जा रहा है। **यूएसटीटीएडी(उस्ताद)** • उस्ताद(अपग्रेडिंग दि स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स/ क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट) के कारगर कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय ने 'उस्ताद' के अंतर्गत नॉलेज पार्टनर के रूप में राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान(एनआईडी), राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) और भारतीय पैकेजिंग संस्थान(आईआईपी) को नियोजित किया है। ये नॉलेज पार्टनर इन बातों के लिए अल्पसंख्यक क्लस्टर में हस्तक्षेप कार्रवाई करेंगेः (क) डिजाइन हस्तक्षेप, (ख) उत्पाद रेंज विकास, (ग) पैकेजिंग, (घ) प्रदर्शनी, फैशन शो और मीडिया के जरिए

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			प्रचार, (ड.) बिक्री बढ़ाने के लिए ई-मार्केटिंग पोर्टलों के साथ संपर्क करना और (च) परंपरागत कला/शिल्प के संरक्षण और विकास लिए ब्रांड निर्माण । • राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम(एनएमडीएफसी) ने उस्ताद के अंतर्गत इस स्कीम के शिल्पोत्सव घटक के तहत अल्पसंख्यक शिल्पकारों/दस्तकारों की भागीदारी की सहायता हेतु 7(सात) प्रदर्शनियों का आयोजन किया है। • 30.4.2016 को वाराणसी में उस्ताद के तहत डिजाइन विकास के प्रदर्शन हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें जामदानी, पत्थर पर नक्काशी, बनारस की ज़री और लकड़ी के खिलौनों के चार चिह्नित शिल्प कलस्टरों के प्रोटोटाइप की शुरूआत की गई। • पंरपरागत कौशल में प्रशिक्षण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए, 11 राज्यों में परंपरागत शिल्प/कला के लिए 38 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के पैनल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही परंपरागत शिल्प/कला को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड "उस्ताद" के अंतर्गत ₹1.74 करोड़ राशि की "हुनर-हाट" नामक परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। ***कार्य प्रगति पर***
35.	59	**शिक्षा, कौशल और रोजगार सृजन** मैं, अब शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन के अंतर्गत किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे बजट प्रस्तावों का चौथा स्तंभ है।	इसे पैरा सं. 60 के साथ पढ़ा जाए।
36.	60	***शिक्षा*** देश भर में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ करने के बाद, अब हम शिक्षा के स्तर पर ध्यान देकर अगला बड़ा कदम उठाना चाहते हैं। इसके लिए सर्वशिक्षा अभियान के तहत बड़ा आबंटन किया जाएगा। इसके अलावा, अगले दो वर्ष में, इस योजना में अभी तक शामिल न किए गए शेष जिलों में 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागः स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग]	**सर्व शिक्षा अभियानः** वित्त वर्ष 2016-17 के लिए, सर्वशिक्षा अभियान(एसएसए) के परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) ने निर्णय लिया कि एसएसए के अंतर्गत पिछले वर्षों के लगभग 6 प्रतिशत के मुकाबले कुल परिव्यय का 10 प्रतिशत गुणवत्ता से संबंधित उपायों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तदनुसार, एसएसए के जरिए गुणवत्ता संबंधी हस्तक्षेप कार्रवाई से जुड़े कार्यकलाप सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं में अनुमोदित कर दिए गए हैं। ऐसा करने के लिए, विभाग ने एसएसए के अंतर्गत सभी हस्तक्षेप कार्रवाइयों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जहां श्रेणी-।। गुणवत्ता और पठन-पाठन परिणामों में सुधार करने के लिए की गई हस्तक्षेप कार्रवाइयों से संबंधित है। इनमें अध्यापक प्रशिक्षण, बीआरसी/सीआरसी के जरिए अकादमिक सहायता, पठन-पाठन सुधार कार्यक्रम(एलईपी), सीएएल के लिए नवोन्मेष निधि, पुस्तकालय, शिक्षक अनुदान, नए स्कूलों के लिए टीएलई, परिवहन/एस्कॉर्ट

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			सुविधा, विशेष बच्चों के सही उम्र पर दाखिले के लिए विशेष प्रशिक्षण, नवोन्मेष, सामुदायिक संगठन और एसएमसी प्रशिक्षण शामिल है। एसएसए के अंतर्गत निधियां जारी करते समय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मंजूरी आदेश के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि चालू वर्ष में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कुल व्यय का कम से कम 10 प्रतिशत श्रेणी-।। में सूचीबद्ध गुणवत्ता हस्तक्षेप कार्रवाइयों के लिए खर्च किया जाए। इसके अलावा, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 2016-17 के लिए एसएसए के अंतर्गत अपनी वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देते समय पठन-पाठन के परिणामों में सुधार लाने पर ध्यान केन्द्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। **नवोदय विद्यालयः** व्यय संबंधी वित्त समिति(ईएफसी) ने 19.7.2016 को हुई अपनी बैठक में देश के कवर न किए गए जिलों में 62 जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव की सिफारिश की। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 23.11.2016 को हुई अपनी बैठक में देश में 62 नए जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
37.	61	हम उच्च शिक्षण संस्थाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि उन्हें विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थाएं बनने में मदद मिल सके। दस सरकारी और दस निजी संस्थाओं को एक समर्थकारी विनियामक संरचना मुहैया कराई जाएगी ताकि वे विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थाओं के रूप में उभर सकें। इससे आम भारतीयों को उच्च-स्तरीय शिक्षा कम खर्च पर उपलब्ध हो सकेगी। एक विस्तृत स्कीम बनाई जाएगी। [नोडल मंत्रालय/विभागः उच्चतर शिक्षा विभाग]	10 सरकारी और 10 निजी संस्थाओं के लिए समर्थकारी विनियामक संरचना की व्यवस्था करने हेतु मसौदा यूजीसी(शैक्षिक संस्थाओं को विश्वस्तरीय संस्था के रूप में घोषित करना) दिशानिर्देश 2016 तैयार किए गए ताकि वे विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थाओं के रूप में उभर सकें। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, निजी संस्थाओं के लिए विनियामक संरचना, पात्रता संबंधी मापदंड, चयन की प्रक्रिया और मॉनिटिरंग आदि इस प्रयोजनार्थ यूजीसी द्वारा तैयार किए गए विनियमों के अनुसार होगी जिन्हें यूजीसी(विश्व स्तरीय संस्थाएं मानद विश्वविद्यालय) विनियम, 2016 कहा जाएगा। मसौदा यूजीसी(विश्व स्तरीय संस्थाएं मानद विश्वविद्यालय) विनियम, 2016 भी तैयार किया गया है। विधि कार्य विभाग के अभिमत प्राप्त करने के लिए मसौदा दिशानिर्देशों और विनियमों को उन्हें भेजा गया। विधि कार्य विभाग ने यह मामला महान्यायभिकर्ता के पास भेज दिया है। महान्यायभिकर्ता की राय के आधार पर, मसौदा दिशानिर्देशों और विनियमों को संशोधित किया गया है। दोनों मसौदों को सार्वजनिक परामर्शों के लिए प्रस्तुत किया गया। सार्वजनिक परामर्शों से प्राप्त जानकारी संकलित की जा रही है। सार्वजनिक परामर्शों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मसौदा दिशानिर्देशों और विनियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			चूंकि सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को विश्वस्तरीय संस्था के रूप में उन्नत करने के लिए वित्तीय प्रभाव होंगे, इसलिए दिशानिर्देशों और विनियमों को अंतिम रूप देने के बाद, ईएफसी के अनुमोदन के पश्चात् मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद, दिशानिर्देशों और विनियमों की अधिसूचना जारी की जाएगी। ***कार्य प्रगति पर***
38.	62	हमने 1000 करोड़ रुपए के आरंभिक पूंजी आधार के साथ उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) स्थापित करने का निर्णय लिया है। हेफा 'न हानि न लाभ' के आधार पर कार्य करने वाला संगठन होगा जो बाजार से निधियां प्राप्त करेगा तथा इसकी अनुपूर्ति दान और सीएसआर निधियों से करेगा। इन निधियों का उपयोग हमारी शीर्ष संस्थाओं में अवसंरचना-सुधार के वित्तपोषण हेतु किया जाएगा और इसकी व्यवस्था आंतरिक निधियों से की जाएगी। [नोडल मंत्रालय/विभागः उच्चतर शिक्षा विभाग]	मंत्रिमंडल ने उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण अभिकरण(एचईएफए-हेफा) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। हेफा की स्थापना के लिए केनरा बैंक की संयुक्त उद्यम भागीदार/प्रमोटर के रूप में पहचान और नियुक्ति की गई है। केनरा बैंक को इस आशय का पत्र 29.12.2016 को जारी कर दिया गया है। ***कार्य प्रगति पर***
39.	63	विद्यार्थियों, उच्चतर शिक्षा संस्थाओं और नियोक्ताओं को अभ्यर्थियों के डिग्री प्रमाणपत्र सुलभ कराने के लिए, **प्रतिभूति निक्षेपागार की तर्ज पर, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्रों, कॉलेज उपाधियों, शैक्षणिक पुरस्कारों तथा अंक तालिकाओं संबंधी एक डिजिटल निक्षेपागार की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है।** यह उनकी प्रामाणिकता के वैधीकरण, सुरक्षित संचयन और आसानी से पुनः प्राप्ति में सहायक होगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः उच्चतर शिक्षा विभाग]	केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 27.10.2016 को हुई अपनी बैठक में नेशनल एकेडमिक डिपाजिटरी (एनएडी) स्थापित और प्रचालित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के उपरांत, उच्चतर शिक्षा विभाग ने दो अंतः प्रचालनीय डिजीटल डिपाजिटरी वाले एनएडी की स्थापना के लिए यूजीसी को ऐसे प्राधिकृत निकाय के रूप में निर्दिष्ट किया है जो सभी केन्द्रीय उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं, राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं और बोर्डों की ओर से एनएसडीएल डाटाबेस मैनेंजमेंट लिमिटेड और सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड के साथ त्रिपक्षीय करार निष्पादित करेगा। सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) गठित की गई है जो राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार की परियोजना के कार्यान्वयन को देखेगी। एनएससी की पहली बैठक 9.11.2016 को आयोजित की गई थी। ***कार्रवाई पूर्ण।***
40.	64	**कौशल विकास** "स्किल इंडिया" मिशन का उद्देश्य हमारी मानव-आबादी का लाभ उठाना है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन ने अपनी शुरूआत से एक विस्तृत कौशल विकास पारितंत्र तैयार किया है और इसके तहत 76 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है। हम, *प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)* के जरिए उद्यमिता को युवाओं के दरवाजे पर लाना चाहते हैं। हमने देश भर में 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का निर्णय लिया है। मैं,	सरकार ने 2016-2020 तक के चार वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है ताकि इसे अधिक कारगर, पारदर्शी और लाभानुभोगी-उन्मुखी बनाया जा सके। इस योजना में ये परिवर्तन विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अनेकानेक सुझावों और अंतः मंत्रालयी परामर्श के आधार पर किए गए। संशोधित पीएमकेवीवाई (2016-2020) बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को इन तीन घटकों के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने और बेहतर आजीविका के लिए उद्योग संगत कौशल प्रशिक्षण लेने में

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		इन कार्यक्रमों के लिए ₹1,700 करोड़ की राशि अलग से रख रहा हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभागः कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय]	समर्थ बनाती है नामतः नया प्रशिक्षण, पूर्व में प्राप्त शिक्षण(आरपीएल) को मान्यता और विशेष परियोजना। इस योजना का उद्देश्य भारत में कौशल प्रशिक्षण की संरचना में मानकीकरण और निरंतरता सुनिश्चित करने के संदर्भ में इसे सामान्य मानकों के साथ समनुरूप बना कर कौशल विकास को प्रोत्साहित और संवर्धित करना है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं में एनएसएफक्यू आधारित गुणवत्ता आश्वासन फ्रेमवर्क, बाजार के लिए प्रासंगिक कार्यक्रम, पूर्व शिक्षण को मान्यता, पाठ्यचर्या को समनुरूप बनाना, राष्ट्रीय प्रमाणन, रोजगार योग्य कौशल, नियोजन इत्यादि शामिल है। यह योजना समावेशिता को बढ़ावा देती है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों तथा दुर्गम भौगोलिक इलाकों में रहने वाले लोगों की कौशल संबंधी जरूरतों का संरक्षण करना है। पीएमकेवीवाई का लक्ष्य ₹12000 करोड़ के परिव्यय से चार वर्षों(2016-2020) में एक करोड़ लोगों को कौशल प्रदान करना है(नए प्रशिक्षण के तहत 60 लाख और आरपीएल के तहत 40 लाख)। ***कार्य प्रगति पर***
41.	65	हमने उद्योग जगत और शिक्षाविदों की भागीदारी से एक राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया है। हम अगले तीन वर्षों में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को और अधिक उन्नत बनाने का प्रस्ताव करते हैं। [नोडल मंत्रालय/विभागः कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय]	ईएफसी नोट परिचालित किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 13.7.2016 को अनुमोदित और अधिसूचित की गई है। इस योजना का लक्ष्य ₹12000 करोड़ के परिव्यय से चार वर्षों(2016-2020) में एक करोड़ लोगों को कौशल प्रदान करना है। ***कार्य प्रगति पर***
42.	66	उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के जरिए 2200 कालेजों, 300 विद्यालयों, 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा 50 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रदान किया जाएगा। उद्यमी बनने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्तियों खासकर देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए व्यक्तियों को मार्गदर्शकों और ऋण बाजारों से जोड़ जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय]	• प्रधानमंत्री युवा (युवा उद्यमिता विकास अभियान) योजना के रूप में औपचारिक रूप से जानी जाने वाली इस योजना को नवम्बर, 2016 में आरंभ किया गया। • योजना के तहत राष्ट्रीय ई-केन्द्र और पांच क्षेत्रीय ई-केन्द्रों के कार्यालय भवन हेतु संस्थाओं की पहचान कर ली गई है। • इस योजना के तहत नॉलेज-पार्टनर वाधवानी ऑपरेटिंग फाउंडेशन(डब्ल्यूओएफ) के साथ इसके अंशदान के संबंध में करारों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। • विभिन्न श्रेणियों की कुल 260 परियोजना संस्थाओं का अब तक पैनल बनाया जा चुका है। • लगभग 100 और संस्थाओं तथा 139 सरकारी-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का पैनल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। • ई-केन्द्र के राष्ट्रीय परियोजना निदेशक का चयन कर लिया गया है। • 2016-17 के लिए राष्ट्रीय ई-केन्द्र में अन्य पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। • मॉनीटरिंग और मूल्यांकन यूनिट तथा वित्तीय प्रबंधन यूनिट वाले संगठनों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
43.	67	**रोजगार सृजन** **औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगार के सृजन की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नामांकन कराने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए उनकी नियुक्ति की तारीख से प्रथम तीन वर्षों के लिए 8.33 प्रतिशत के हिसाब से कर्मचारी पेंशन योजना अंशदान का भुगतान करेगी।** इससे नियोक्ता बेरोजगार व्यक्तियों को भर्ती करने और अनौपचारिक कर्मचारियों को भी बहियों में दर्ज करने के लिए प्रेरित होंगे। इस व्यवस्था को अर्ध-कुशल और अकुशल कामगारों के लक्षित समूह पर मार्गीकृत करने के उद्देश्य से, यह स्कीम ₹15,000 प्रतिमाह तक के वेतनभोगियों पर भी लागू की जाएगी। मैंने इस स्कीम के लिए बजट में ₹1,000 करोड़ का प्रावधान किया है। [नोडल मंत्रालय/विभागः श्रम एवं रोजगार मंत्रालय]	योजना के कार्यान्वयन से संबंधित दिशानिर्देशों को वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके अंतिम रूप दिया गया और उन्हें 9 अगस्त, 2016 को जारी किया गया। योजना के कार्यान्वयन के लिए ईपीएफओ ने सॉफ्टवेयर विकसित कर लिया है और इस समय नियोक्ताओंको प्रत्यक्ष लाभ देने के लिए प्रचालनरत है। कुछ कर्मचारियों ने प्रतिपूर्ति मोड में इस योजना के तहत दावा करके लाभ प्राप्त कर लिए हैं। पीएमआरपीवाई स्कीम के लिए ईपीएफओ को ₹124.9 करोड़ और ₹30 करोड़ श्रम एंव रोजगार मंत्रालय के समग्र बजटीय आवंटन के भीतर वस्त्रोद्योग घटक(वस्त्रोद्योग मंत्रालय की पीएमआरपीवाई योजना) के लिए इस मंत्रालय से ईपीएफओ को अंतरित किए गए हैं। ***कार्य प्रगति पर***
44.	68	इसके अतिरिक्त, वित्त विधेयक, 2016 में आयकर अधिनियम की धारा 80ञञकक के अधीन उपलब्ध रोजगार सृजन प्रोत्साहन का दायरा और अधिक व्यापक तथा उदार बनाने का प्रस्ताव किया गया है। यह कटौती न केवल किसी कारखाने में वस्तुओं के विनिर्माण से आय प्राप्त करने वाले कर निर्धारितियों के लिए उपलब्ध होगी बल्कि ऐसे सभी निर्धारितियों के लिए भी उपलब्ध होगी जिनकी इस अधिनियम के तहत सांविधिक लेखा परीक्षा की जाती है। इस प्रकार, ऐसे सभी कर्मचारियों को देय परिलब्धियों के 30 प्रतिशत की कटौती का तीन वर्षों तक दावा किया जा सकता है। वर्ष के दौरान उन्हें नियोजित किए जाने वाले दिनों की न्यूनतम संख्या को भी 300 से घटाकर 240 दिन किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, ₹25,000 से अधिक मासिक परिलब्धियों वाले कर्मचारियों के संबंध में कोई कटौती स्वीकार्य नहीं होगी। इसके अलावा, उन कर्मचारियों के संबंध में भी कोई कटौती स्वीकार्य नहीं होगी जिनके लिए सरकार संपूर्ण कर्मचारी पेंशन स्कीम की अदायगी कर रही है। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	वित्त अधिनियम, 2016 के जरिए आयकर अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर लिए गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण।***
45.	69	जुलाई, 2015 में एक राष्ट्रीय करियर सेवा प्रारम्भ की गई थी। रोजगार चाहने वाले 35 मिलियन से अधिक लोग इस सेवा में पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। हम, 2016-17 के अंत तक मॉडल करियर केन्द्रों को संचालन योग्य बनाने का प्रस्ताव करते हैं।	अंतः मंत्रालयी मूल्यांकन समिति ने 103 मॉडल करियर केन्द्रों (जिनमें बिना किसी वित्तपोषण आवश्यकता के 7 केन्द्र शामिल हैं) को मंजूरी दी है और सभी केन्द्रों को निधियां जारी कर दी गई हैं। 45 मॉडल केन्द्र प्रचालनरत हैं जहां प्रत्येक केन्द्र में युवा पेशेवर व्यक्तियों को नियोजित किया गया है। राज्यों से शेष केन्द्रों को

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		हम राज्य के रोजगार कार्यालयों को राष्ट्रीय करियर सेवा प्लेटफार्म से जोड़ने का भी प्रस्ताव करते हैं। [नोडल मंत्रालय/विभागः श्रम एवं रोजगार मंत्रालय]	प्रचालित करने के लिए कहा जा रहा है। प्रचालन में तेजी लाने के लिए सचिव(श्रम एवं रोजगार) की ओर से श्रम एवं रोजगार के राज्य सचिवों को पत्र लिखे गए हैं। रोजगार केन्द्रों को एनसीएस के साथ जोड़ने और रोजगार मेले आयोजित करने के लिए योजना संबंधी दिशानिर्देश राज्यों के बीच परिचालित किए गए। 16 राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर निधियां जारी करने के लिए कार्रवाई की गई है। अन्य राज्यों को निधियां जारी करने के लिए संशोधित अनुमान चरण पर पूरक निधियां मांगी जा रही हैं। मंत्रालय ने अप्रैल, 2016 से अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में 100 रोजगार मेले आयोजित किए हैं। ***कार्य प्रगति पर***
46.	70	खुदरा व्यापार देश में सबसे बड़ा सेवा क्षेत्र नियोक्ता है। यदि विनियमों को सरल बनाया जाए, तो इस क्षेत्र में और भी अधिक रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। यदि शॉपिंग मालों को सप्ताह के सातों दिन खुला रखा जा सकता है, तो छोटी और मध्यम दुकानों को क्यों नहीं? इन दुकानों को स्वैच्छिक आधार पर सप्ताह के सातों दिन खुले रहने का विकल्प दिया जाना चाहिए। वस्तुतः अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश, प्रतिदिन कार्य घंटों की संख्या आदि के दृष्टिगत कामगारों के हितों को भी संरक्षित करना होगा। हम एक ऐसा मॉडल दुकान और प्रतिष्ठान विधेयक परिचालित करने का प्रस्ताव करते हैं जिसे राज्य सरकारों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर स्वीकार किया जा सकता है। [नोडल मंत्रालय/विभागः श्रम एवं रोजगार मंत्रालय]	यह विधेयक सभी राज्यों में परिचालित किया जा चुका है। चूंकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार इस विधेयक को अंगीकार करना स्वैच्छिक है। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, 1958 में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सचिव (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) और माननीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने क्रमशः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे उक्त मॉडल को उसी रूप में अथवा उस राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार उसके प्रावधानों में संशोधन करने के बाद अपनाने पर विचार करे। ***कार्रवाई पूर्ण।***
47.	72	सड़क क्षेत्र में, पुराने कारणों से वर्ष के प्रारम्भ में 70 से अधिक परियोजनाएं अटकी पड़ी थीं। इन परियोजनाओं की कुल लम्बाई 8,300 किलोमीटर थी, जिसमें ₹1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश शामिल था। अनुकरणीय और सकारात्मक हस्तक्षेप कार्रवाई से, इनमें से लगभग 85 प्रतिशत परियोजनाएं पुनः पटरी पर आ गई है।	मंत्रालय और एनएचएआई रूकी हुई परियोजनाओं पर कड़ी नज़र रखे हुए है। जहां भी संभव हो रूकी हुई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एनएचएआई द्वारा एकमुश्त निधि दी जा रही है। बीओटी टोल/वार्षिकी मोड में रूकी हुई कोई भी ऐसी राजमार्ग परियोजना जिसने कम से कम 50 प्रतिशत वास्तविक पूर्णता हासिल कर ली हो और यह भी सिद्ध हो गया हो कि साधारण वित्तपोषण से यह परियोजना पूरी की जा सकती है, तो एनएचएआई ऐसी परियोजना को वित्तीय सहायता देता है। यह सहायता बैंक दर+2 प्रतिशत की दर पर ऋण आधार पर दी जाती है। इस समय सड़कों के विकास के लिए एनएचएआई के पास उपलब्ध साझा निधि के जरिए इन निधियों की व्यवस्था की जा रही है। रूकी हुई परियोजनाओं को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां भी ऐसा करना संभव नहीं होगा, वहां ऐसी संविदाओं को तत्काल समाप्त करने और उन्हें पुनः प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			मंत्रालय और एनएचएआई के सकारात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप, रूकी हुई परियोजनाओं की संख्या में काफी कमी करना संभव हो पाया है; इस समय रूकी हुई परियोजनाओं की संख्या मात्र 10 है। ***कार्य प्रगति पर***
48.	73	भारत में पहली बार 2015 में सर्वाधिक किलोमीटर के राजमार्ग की संविदा प्रदान की गई। साथ ही, मोटरवाहनों का सर्वाधिक उत्पादन भी 2015 में किया गया। यह अर्थव्यवस्था के विकास का संकेत है; लेकिन इससे एक चुनौती भी उत्पन्न हो गई है। अतः, हमने सड़क निर्माण की प्रक्रिया की गति भी तेज कर दी है। मैंने, राजमार्गों के लिए बजट में ₹55,000 करोड़ की राशि के आवंटन का प्रस्ताव किया है। इसे एनएचएआई द्वारा बांडों के जरिए जुटाए जाने वाली अतिरिक्त ₹15,000 करोड़ की राशि से और भी बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार, 2016-17 के दौरान, सड़क क्षेत्र में कुल निवेश, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आवंटन सहित, ₹97,000 करोड़ होगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय]	वर्ष 2016-17 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कुल प्रस्तावित वार्षिक आयोजना परिव्यय ₹55,000 करोड़ है जिनमें सड़क क्षेत्र के लिए ₹54,800 करोड़ और परिवहन क्षेत्र के लिए ₹200 करोड़ शामिल है। इसके अतिरिक्त, एनएचएआई को 2016-17 के दौरान, बाजार उधारों के जरिए ₹59,279 करोड़ के आंतरिक और बजटेतर संसाधन (आईईबीआर) जुटाने के लिए प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है। एनएचएआई ने सितम्बर, 2016 तक 54 ईसी बॉण्डों के जरिए ₹2,471 करोड़ और कर-योग्य बॉण्डों के जरिए ₹10,000 करोड़ जुटाए हैं। ***कार्य प्रगति पर***
49.	74	रेलवे के पूंजीगत व्यय को मिलाकर, 2016-17, में सड़कों और रेलवे संबंधी कुल परिव्यय ₹2,18,000 करोड़ होगा।	इसे पैरा 73 के साथ पढ़ा जाए।
50.	75	हम, 2016-17 में लगभग 10,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों को अनुमोदन देने की भी आशा करते हैं। यह गत दो वर्षों की तुलना में कहीं अधिक होगा। वर्ष 2016-17 में सड़क परियोजनाओं के पूरा होने की गति में भी लगभग 10,000 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, लगभग 50,000 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों को भी राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नत करने का कार्य शुरू किया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय]	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का 2016-17 के दौरान 25,000 कि.मी. लम्बी सड़कों के निर्माण के लिए संविदा देने का तथा लगभग 15,000 कि.मी. लम्बी सड़कों का निर्माण करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखने का प्रस्ताव है। यह 2015-16 के दौरान के 10,098 कि.मी. की संविदा देने और 6,029 कि.मी. सड़कों के निर्माण की पूर्णता की उपलब्धि से कहीं अधिक है। 2016-17 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना सितम्बर, 2016 के दौरान संविदा देने और निर्माण की पूर्णता निम्नानुसार रहीः **कि.मी. लम्बाई** | **2016-17 में लक्ष्य** | **सितम्बर, 2016 तक उपलब्धि** संविदा प्रदान करना | 25,000 | 3969 निर्माण की पूर्णता | 10,000 | 2979 लगभग 50,000 कि.मी. लम्बी राज्य सड़कों का नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयन करने के लक्ष्य के मुकाबले मंत्रालय ने सितम्बर, 2016 तक उनके डीपीआर के परिणाम के अध्यधीन 44,803 कि.मी. लम्बी राज्य सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में अनुमोदित किया है। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
51.	77	आम आदमी और मध्य वर्ग के लाभार्थ हमारी सड़कों पर यात्रियों के यातायात को और अधिक दक्ष बनाया जाना जरूरी है। यह पूर्णतः एक अपरिष्कृत क्षेत्र है जिसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। परमिट राज का उन्मूलन हमारा मध्यावधिक लक्ष्य होगा। सरकार, मोटर वाहन अधिनियम में आवश्यक संशोधन करेगी और सड़क परिवहन क्षेत्र को यात्री के खंड में खोलेगी। राज्यों के लिए एक समर्थकारी पारि-तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उन्हें नए विधिक ढांचे को अंगीकार करने का विकल्प दिया जाएगा। उद्यमी, कतिपय कार्यदक्षता एवं सुरक्षा मानदंडों का पालन करने के अध्यधीन विभिन्न मार्गों पर बसें चला सकेंगे। इस युगांतरकारी पहल के मुख्य लाभों में अधिक दक्ष सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, लोगों को और अधिक जनसुविधा, इस मरणासन्न क्षेत्र में नया निवेश, हमारे युवाओं के लिए नए रोजगार, स्टार्ट-अप उद्यमियों का विकास और अन्य कई गुना प्रभाव शामिल होंगे। इन उपायों से हम विकास के मार्ग पर अधिक तेज़ी से बढ़ पाएंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय]	सड़क सुरक्षा की दुर्गति और सड़क सुरक्षा तथा परिवहन सुलभता में सुधार लाने की जरूरत को देखते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फरवरी, 2016 में राजस्थान सरकार के माननीय पीडब्ल्यूडी और परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में राज्य परिवहन मंत्रियों का एक समूह गठित किया है जो देश में परिवहन क्षेत्र के सामने आ रहे मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगा। मंत्रियों के इस समूह को सड़क परिवहन क्षेत्र में सर्वोत्तम परिपाटियों की जांच करने का अधिदेश प्राप्त था ताकि सुरक्षा और आवाजाही में सुधार किया जा सके तथा कार्यान्वयन हेतु लागू किए जा सकने वाले उपाय किए जा सकें। इस समूह का यह विचार है कि परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा और कार्यदक्षता संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए जब तक सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता, तब तक के लिए, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में तत्काल परिवर्तन किए जाने की जरूरत है। इस समूह की सिफारिशों के आधार पर मंत्रिमंडल द्वारा 3 अगस्त, 2016 को हुई इसकी बैठक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन के लिए मंत्रिमंडल टिप्पणी को अनुमोदित किया गया है। मोटर वाहन संशोधन विधेयक, 2016 को 9 अगस्त, 2016 को लोक सभा में विचारार्थ और पारित किए जाने के लिए पेश कर दिया गया है। इस विधेयक को विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति को जांच एवं रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया है। ***कार्य प्रगति पर***
52.	78	वर्ष 2015 में, भारत के बड़े पत्तनों ने अब तक की सर्वाधिक गुणवत्ता वाले कार्गो को हैंडल किया है। हमने बड़े पत्तनों में अब तक की सर्वाधिक क्षमता का भी अभिवर्धन किया है। हमने पत्तनों को आधुनिक बनाने और उनकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं। सागरमाला परियोजना पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है। हम देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्री तटों पर नए ग्रीनफील्ड पत्तन विकसित करने की योजना बना रहे हैं। राष्ट्रीय जलमार्गों संबंधी कार्य भी शीघ्रतापूर्वक किया जा रहा है। इस पहल के लिए ₹800 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। [नोडल मंत्रालय/विभागः पोत परिवहन मंत्रालय]	**पत्तनों का आधुनिकीकरणः** 12 प्रमुख पत्तनों के लिए बेंच मार्किंग अध्ययन की 116 सिफारिशों में से 60 सिफारिशों को अब तक कार्यान्वित किया जा चुका है। शेष सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं और इन्हें बारीकी से मॉनीटर किया जा रहा है। सभी सिफारिशें दिसम्बर, 2019 तक कार्यान्वित की जानी हैं। **सागरमाला परियोजनाः** राष्ट्रीय सागरमाला परिप्रेक्ष्य योजना कार्यक्रम 09.4.2016 को राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। सागरमाला विकास कम्पनी को 20.07.2016 को मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात 31.08.2016 को निगमित किया गया है। **नए ग्रीनफील्ड पत्तनः** 3 नए ग्रीनफील्ड प्रमुख पत्तन अर्थात् सागर, एनायाम और वधावन कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। सागर पत्तन के संबंध में, व्यय संबंधी वित्त समिति ने 5.8.16 को आयोजित अपनी बैठक में परियोजना का मूल्यांकन किया है और बुनियादी अवसंरचना के निर्माण हेतु अनुदान के अनुमोदन हेतु सिफारिश की है। पश्चिम बंगाल सरकार को ईएफसी को शर्तों के अनुसार अपनी वचनबद्धता पूरी करने के लिए कहा जा रहा है। एनायाम पत्तन के संबंध में, पहला कंटेनर टर्मिनल जुलाई 2020 तक पूरा किया जाना है। वधावन पत्तन का चरण-I 30.11.2021 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है। **राष्ट्रीय जलमार्गः** राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016, 12.4.2016 से लागू हो गया है। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
53.	79	नागर विमानन क्षेत्र में, सरकार असेवित तथा अल्पसेवित विमानपत्तनों को पुनः चालू करने के लिए एक कार्य योजना तैयार कर रही है। देश में राज्य सरकारों के पास लगभग 160 विमानपत्तन और हवाई पट्टियां हैं। इनमें से प्रत्येक को ₹50 करोड़ से ₹100 करोड़ तक की अनुमानित लागत से पुनः चालू किया जा सकता है। हम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए इनमें से कुछ विमान पत्तनों को विकसित करने के लिए राज्य सरकारों के भागीदार बनेंगे। इसी प्रकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास 25 में से 10 अकार्यात्मक हवाई पट्टियों को भी विकसित करेंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागः नागर विमानन मंत्रालय]	चार वर्ष की अवधि के दौरान, ₹4500 करोड़ की कुल लागत पर 160 में से 50 हवाई पट्टियों और विमान पत्तनों का पुनरूद्धार करने का प्रस्ताव है। व्यय संबंधी वित्त समिति ने परियोजना प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक हेतु नोट भेज दिया गया है। ***कार्य प्रगति पर***
54.	80	भारत में तेल और गैस सहित प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है। तथापि, उनका अन्वेषण और दोहन हमारी क्षमता से कम रहा है। हाइड्रोकार्बन का आयात हमारे कुल भारतीय आयात का एक बड़ा हिस्सा है। हमारे यहाँ बढ़ रही मांग की स्थिति है, उत्पादन में लगभग स्थिरता है, जिसके फलस्वरूप आयातों में तीव्र वृद्धि हो रही है। आत्म-निर्भरता के प्रति हमारे अभियान के भाग के रूप में, सरकार गहरे पानी, अति गहरे पानी और उच्च दबाव तथा उच्च ताप वाले क्षेत्रों, जिनका उच्चतर लागत तथा उच्चतर जोखिमों के चलते वर्तमान में दोहन नहीं किया जा रहा है, से गैस-उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है। **नए अन्वेषणों का एक प्रस्ताव विचाराधीन है तथा जिन क्षेत्रों में अभी उत्पादन आरंभ किया जाना है, उन्हें पहले एक निर्धारित विपणन स्वतंत्रता दी जाए तथा दूसरी बात यह कि इसके लिए एक पूर्व निर्धारित अधिकतम मूल ज्ञात किया जाए जो वैकल्पिक ईधनों के पहुँच मूल्य के सिद्धांत पर तय किया जाएगा।** [नोडल मंत्रालय/विभागः पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय]	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मूल्य निर्धारण व्यवस्था पर संबंधित नीतिगत दिशानिर्देशों को 21.3.2016 को अधिसूचित किया है जिनका शीर्षक है- "गहरे जल, अति गहरे जल और उच्च दबाव - उच्च तापमान क्षेत्र में खोजों से उत्पन्न गैस के लिए मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता सहित विपणन"। ***कार्रवाई पूर्ण।***
55.	82	विद्युत क्षेत्र में, हमें दीर्घावधिक स्थिरता के लिए विद्युत उत्पादन के स्रोतों में विविधता लाने की जरूरत है। सरकार, नाभिकीय विद्युत उत्पादन में निवेश के अभिवर्धन के लिए, अगले 15 से 20 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाने वाली एक व्यापक आयोजना तैयार करने जा रही है। प्रतिवर्ष ₹3000 करोड़ तक का बजटीय आवंटन और सरकारी क्षेत्र के निवेशों	• न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने अगले 10-15 वर्षों के दौरान 10 स्वदेशी 700 मेगावाट वाले प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टरों की स्थापना करने की योजना तैयार की है। • परमाणु ऊर्जा आयोग ने प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति से संपर्क करने की सिफारिश की है। अंतर-मंत्रालयी परामर्शों के अंतर्गत एक

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		का इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित निवेश जुटाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः विद्युत मंत्रालय परमाणु ऊर्जा विभाग]	मसौदा मंत्रिमंडल नोट नोडल मंत्रालयों के बीच परिचालित किया गया था। कुछ मंत्रालयों ने मसौदा मंत्रिमंडल नोट में निहित प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। • एनपीसीआईएल से प्रस्तावित प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टरों संबंधी डीपीआर तैयार करने के लिए कहा गया है। • एनपीसीआईएल कुडनकुलम, तमिलनाडु में केकेएनपीपी 5 एवं 6 की स्थापना के लिए अपने रूसी सहयोगियों के साथ वार्ता के अंतिम चरण में है। इसके लिए जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जनवरी 2017 के अंत तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। यह सरकार को केकेएनपीपी 5 एवं 6 के लिए 80 मिलियन अमरीकी डालर(लगभग ₹544 करोड़) आवंटित करने पड़ सकते हैं। ***कार्य प्रगति पर***
56.	83	वर्ष 2016-17 के दौरान, सरकार एनएचएआई, पीएफसी, आरईसी, आईआरईडीए, नाबार्ड तथा अंतर्देशीय जल प्राधिकरण को बांड जारी करके लगभग ₹31,300 करोड़ तक की अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति देगी। [नोडल मंत्रालय/विभागः सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय]	**सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालयः** वर्ष 2016-17 के दौरान एनएचएआई द्वारा ₹59,279 करोड़ के आंतरिक एवं बजटेतर संसाधन सृजित करने के लिए बाजार से उधार लेने का लक्ष्य रखा गया है। **विद्युत मंत्रालयः** • विद्युत मंत्रालय की फ्लैगशिप योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए पावर फाइनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) द्वारा ₹5000 करोड़ (कुल ₹31300 करोड़ में से) के बांड जुटाए जाएंगे। • बांडों की शर्तों और बांडों के शोधन से संबंधित लैटर ऑफ कम्फर्ट को अक्तूबर 2016 में अंतिम रूप दे दिया गया था। • पीएफसी को मार्च 2017 तक पांच श्रृंखलाओं में बांड जुटाने की सलाह दी गई है। • पीएफसी को 21.12.2016 को ₹1000 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है ताकि वह डीडीयूजीजेवाई स्कीम के लिए आरईसी को, जुटाए जाने वाले बांडों की प्राप्तियों से निधियां जारी कर सके। **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयः** वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने अपने दिनांक 3.10.16 के का.ज्ञा. के माध्यम से अवसंरचना पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि करने के लिए ₹31,300 करोड़ की राशि के बजटेतर संसाधन जुटाने संबंधी अपना अनुमोदन प्रेषित कर दिया है। इस अनुमोदन के अनुसार, इरेडा ग्रिड इन्टरेक्टिव रीन्यूएबल पावर के लिए ऑफ-ग्रिड/डिस्ट्रीब्यूटिड और डीसेंट्रलाइज्ड रीन्यूएबल पावर तथा कार्पोरेशन तथा स्वायत्त निकायों में पूंजी निवेश के लिए ₹4000 करोड़ के बांड जारी करने जा रहा है। **पोत परिवहन मंत्रालय** मसौदा विनियमों को आर्थिक कार्य विभाग और व्यय विभाग के परामर्श से अंतिम रूप दे दिया गया है और विधायी विभाग द्वारा

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			इसका पुनरीक्षण किया गया है। अब यह अगली कार्रवाई किए जाने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय में प्रक्रियाधीन है। आर्थिक कार्य विभाग ने दिनांक 3.10.2016 को अंतर्देशीय जल प्राधिकरण (इनलैंड वाटर अथॉरिटी) द्वारा ₹1000 करोड़ के बांड जारी करने का अनुमोदन दे दिया है। ***कार्य प्रगति पर***
57.	84	हमारे निजी क्षेत्रक अवसंरचना सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें से अनेक सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में क्रियान्वित किए जाते हैं। मैं इस क्षेत्र में एक बार फिर से तेजी लाने के लिए तीन नई पहलों की घोषणा करता हूँ।	
		(i) अवसंरचना संबंधी निर्माण संविदाओं, सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) तथा सार्वजनिक उपयोगिता संविदाओं में विवाद समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को सुप्रवाही बनाने हेतु 2016-17 में एक सार्वजनिक उपयोगिता (विवाद समाधान) विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा;	दिनांक 7.9.2016 को "सरकारी संविदाओं के लिए विवाद समाधान तंत्र" पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, पोत परिवहन मंत्री, विद्युत मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री तथा रेल मंत्री के साथ बैठक की गई और बैठक में प्राप्त हुए सुझावों के अनुसरण में माध्यस्थम को विवाद निपटान तंत्र का रूप देने के लिए माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में परिवर्तनों से संबंधित कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
		(ii) सरकारी-निजी-भागीदारी (पीपीपी) संबंधी रियायत करारों पर पुनः वार्ता तय करने से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे तथा ये दिशानिर्देश ऐसी संविदाओं की दीर्घावधिक प्रकृति तथा वास्तविक अर्थव्यवस्था की संभावित अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए जारी किए जाएंगे तथा इस प्रयोजनार्थ पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा;	सड़क क्षेत्र से संबंधित प्रस्तावित दिशानिर्देश सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिए गए थे और उनसे मास्टर रियायत करार में संशोधन के लिए अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने का अनुरोध किया गया था।
		(iii) अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एक नई ऋण रेटिंग प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसमें विभिन्न अंतर्निहित ऋण संवर्धन ढांचों पर बल दिया जाएगा तथा जोखिम की एक मानक अवधारणा पर निर्भर नहीं रहा जाएगा क्योंकि इसकी परिणति प्रायः गलत मूल्य पर प्राप्त ऋणों में होती है। [नोडल मंत्रालय/विभागः अवसंरचना और ऊर्जा प्रभाग(आर्थिक कार्य विभाग)]	• ऐसी प्रणाली(प्रोडक्ट) तैयार करने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) और हितधारकों जैसे कि आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए और आईडीएफ तथा बैंकों के बीच परामर्श की व्यवस्था की गई थी। इस प्रणाली को सीआरए द्वारा ऐसे रेटिंग स्केल के रूप में तैयार किया गया है जो उस संभावित हानि (ईएल) को इंगित करेगा जो ऋण लिखत की सक्रियता के दौरान निवेशकर्ता/उधारदाता को वहन करनी पड़ सकती है। • सीआरए द्वारा सेबी के पास नई प्रणाली की विनियामक फाइलिंग का काम पूरा कर लिया गया है। यह प्रणाली आरंभ में उन सड़क और विद्युत क्षेत्र संबंधी पोस्ट- सीओडी परियोजनाओं के लिए होगी जहां इसे जोर शोर से आजमाया गया है। • सीआरए ने एक संयुक्त पत्र पीएफआरडीए और आईआरडीएआई को भेजा है जिसमें उन्होंने नई रेटिंग स्केल की सूचना दी है और स्केल को मान्यता देने का अनुरोध किया है। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
58.	85	मैं हमारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में आगे और सुधार लाने की घोषणा करता हूँ। प्रस्तावित परिवर्तन बीमा और पेंशन, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों, स्टाक एक्सचेंज आदि क्षेत्रों से संबंधित हैं। प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा बजट भाषण के **अनुबंध-I** में दिया गया है।	
		अनुबंध-I **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और संबंधित नीतियों में प्रस्तावित परिवर्तन/सुधार**	
	(i)	बीमा और पेंशन क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग में भारतीय प्रबंध पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अध्यधीन 49 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी और नियंत्रण का सत्यापन विनियामकों द्वारा किया जाना है।	**बीमाः** भारतीय बीमा कंपनियां (विदेशी निवेश) संशोधन नियमावली, 2016 दिनांक 16.3.2016 को अधिसूचित की गई। डीआईपीपी द्वारा दिनांक 23.3.2016 को एफडीआई प्रेस नोट 2016 का संख्यांक-1 जारी किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 30.3.2016 को फेमा अधिसूचना जारी की गई। **पेंशनः** डीआईपीपी द्वारा 23.3.2016 को 2016 को एफडीआई प्रेस नोट संख्या-2 जारी किया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
	(ii)	आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को क्षेत्रीय उच्चतम सीमाओं के अध्यधीन एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों में प्रत्येक खंड के 100 प्रतिशत तक के निवेश की अनुमति दी जाएगी।	प्रेस नोट 4 (2016) को डीआईपीपी द्वारा जारी किया गया और एआरसी में एफडीआई के लिए दिनांक 27.10.2016 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फेमा (एफईएमए) अधिसूचना प्रकाशित की गई। ***कार्रवाई पूर्ण।***
	(iii)	भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में विदेशी निकायों हेतु निवेश सीमा को घरेलू संस्थानों के बराबर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा। इससे भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी को अपनाने और वैश्विक बाजार रीतियों की गति में तीव्रता आएगी।	प्रारूप फेमा अधिसूचना भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुई थी। आर्थिक कार्य विभाग की टिप्पणियां संप्रेषित कर दी गई हैं। सेबी विनियमों में संशोधन फेमा अधिसूचना के पश्चात् जारी किया जाएगा। ***कार्य प्रगति पर***
	(iv)	एफपीआई द्वारा बैंकों को छोड़कर और स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश की मौजूदा 24 प्रतिशत की सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी जाएगी ताकि एफपीआई निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार के पूर्वानुमोदन की जरूरत समाप्त की जा सके।	आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए गए। ***कार्रवाई पूर्ण।***
	(v)	पात्र एफडीआई लिखतों के समूह का विस्तार किया जाएगा ताकि उसमें कतिपय शर्तों के अध्यधीन हाइब्रिड लिखतों को शामिल किया जा सके।	विषयान्तर्गत मंत्रिमंडल नोट को भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		(vi) वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा विनियमित किए जा रहे अन्य कार्यकलापों में स्वचालित मार्ग के तहत 18 विनिर्दिष्ट एनबीएफसी कार्यकलाप से अतिरिक्त कार्यकलाप में भी एफडीआई की अनुमति दी जाएगी।	मंत्रिमंडल टिप्पणी पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत, भारतीय रिजर्व बैंक ने 'अन्य वित्तीय सेवाओं में एफडीआई' के संबंध में 09.09.2016 को फेमा अधिसूचना संख्या 375 प्रकाशित कर दी है। डीआईपीपी ने भी इस संबंध में प्रेस नोट 6/ 2016 जारी किया है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
		(vii) मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और विकसित देशों की परिपाटियों का अनुपालन करने की दृष्टि से विदेशी निवेशकों को कतिपय शर्तों के अधीन रेजिडेंसी दर्जा दिया जाएगा। इस समय इन निवेशकों को एक बार में केवल 5 वर्ष तक का बिजनेस वीजा दिया जाता है।	गृह मंत्रालय ने दिनांक 17.10.2016 के परिपत्र के जरिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करने वाले विदेशी निवेशकों को स्थायी निवास का दर्जा देने के संबंध में सरकार का अनुमोदन सूचित कियाः (i) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) मार्ग के अंतर्गत कम से कम 10 करोड़ रुपए का निवेश 18 महीनों के भीतर अथवा 25 करोड़ का निवेश 36 महीनों के भीतर के तहत लाया जाए। (ii) विदेशी निवेश से प्रत्येक वित्त वर्ष में कम से कम 20 भारतीय निवासियों के लिए रोजगार सृजित होना चाहिए। ***कार्रवाई पूर्ण।***
		(viii) भारत द्वारा अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधियों का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मैं केंद्र राज्य निवेश करार की शुरूआत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे इन संधियों के तहत राज्य सरकारों के दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इन करारों पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों को विदेशी निवेशकों द्वारा अधिक आकर्षक गंतव्य के रूप में देखा जाएगा। इन सभी निर्णयों से विदेशी निवेशकों और उनके घरेलू प्राप्तकर्ताओं के लिए कारोबार करने में आसानी होगी। [नोडल मंत्रालय/विभागः लोक उद्यम विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, गृह मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग]	मंत्रिमंडल टिप्पणी को अंतिम रूप देने के लिए अंतःमंत्रालयी परामर्श किए जा रहे हैं। ***कार्य प्रगति पर***
59.	86	अधिक संख्या में उत्पादों एवं देशों को शामिल करने के लिए 'ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम' को व्यापक और गहन बनाया गया है। सरकार निर्यात क्षेत्रक को सहायता प्रदान करने की दिशा में उपाय जारी रखेगी। [नोडल मंत्रालय/विभागः वाणिज्य विभाग, राजस्व विभाग]	अधिक उत्पाद शामिल करने के लिए इस योजना को अधिक व्यापक और गहन बनाया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
60.	87	हमारी प्रत्यक्ष विदेशी नीति में किसानों तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। हमारे किसानों द्वारा उगाए गए	दिनांक 20.6.2016 को सरकार ने निर्णय लिया कि भारत में विनिर्मित और/अथवा उत्पादित खाद्य मदों के व्यापार में सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		फल और सब्जियों की काफी अधिक मात्रा को या तो सही मूल्य नहीं मिल पाता या फिर ये वस्तुएं बाजार में पहुँच नहीं पाती। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा व्यापार को कहीं अधिक दक्ष बनाने की आवश्यकता है। भारत में उत्पादित और विनिर्मित खाद्य उत्पादों के विपणन हेतु एफआईपीबी मार्ग के जरिए 100 प्रतिशत एफडीआई अनुमति प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को लाभ पहुँचेगा; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तथा काफी अधिक संख्या में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागः औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग]	जाएगी। इस संबंध में डीआईपीपी द्वारा दिनांक 24.6.2016 का प्रेस नोट 5 (2016) जारी कर दिया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
61.	88	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश तथा स्ट्रैटजिक बिक्री सहित सरकारी निवेश के प्रबंधन हेतु एक नई नीति अनुमोदित की गई है। हमें नई परियोजनाओं में निवेश हेतु संसाधन जुटाने के लिए केंद्रीय सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों की परिसंपत्तियों का उपयोग करना है। हम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वे भूमि, विनिर्माणकारी यूनिटों आदि जैसी व्यष्टि आस्तियों का विनिवेश करके आस्ति के बराबर मूल्य प्राप्त करें। नीति आयोग इस स्ट्रैटजिक बिक्री के लिए उद्यमों की पहचान करेगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः नीति आयोग, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग]	आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 17.2.2016 को आयोजित की गई अपनी बैठक में केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) के स्ट्रैटीजिक विनिवेश की प्रक्रिया और तंत्र निर्धारित करने से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित किया। स्ट्रैटीजिक विनिवेश के लिए सीपीएसई की पहचान करने के लिए नीति आयोग को अधिदेशित किया गया है। इस मामले में सभी सम्बद्ध को अपेक्षित अनुदेश 29.2.2016 को जारी किए गए हैं। नीति आयोग ने सीपीएसई के स्ट्रैटीजिक विनिवेश से संबंधित अनुशंसाओं के दो भाग जारी किए हैं। विनिवेश में सबंधित सचिवों के कोर ग्रुप (सीजीडी) ने नीति आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया है। सीपीएसई के स्ट्रैटीजिक विनिवेश के संबंध में नीति आयोग की सिफारिशों के प्रथम और द्वितीय भाग के संबंध में सिद्धान्ततः अनुमोदन हासिल करने के लिए सीसीईए टिप्पणी 17 अक्तूबर, 2016 को मंत्रिमंडल सचिवालय भेजी गई थी जिसमें सीजीडी की सिफारिशों को शामिल किया गया था। 27 अक्तूबर, 2016 को आयोजित की गई बैठक में सीसीईए ने सीपीएसई के स्ट्रैटीजिक विनिवेश के लिए प्रस्ताव का "सिद्धान्ततः" अनुमोदन किया है। ऐसे सीपीएसई के स्ट्रैटीजिक विनिवेश की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है जिनके लिए सीसीईए द्वारा 'सिद्धान्ततः' अनुमोदन प्रदान किया गया है। स्ट्रैटीजिक विनिवेश के लेनदेनों के एकरूप और कार्यकुशल कार्यान्वयन के लिए, मूल सीपीएसई अनुषंगी कंपनी की इक्विटी के विनिवेश के साथ-साथ सरकारी इक्विटी के विनिवेश और सीपीएसई की यूनिटों की बिक्री के संबंध में विनिर्दिष्ट समय के अंदर पूरा किए जाने वाले कार्यकलापों का प्रवाह' तैयार किया गया है। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
62.	89	हम पूंजी पुनर्संरचना, लाभांश, बोनस शेयर आदि जैसे मुद्दों का समाधान करके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश के दक्ष प्रबंधन हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाएंगे। **विनिवेश विभाग को नया नाम "निवेश तथा लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम)" दिया जा रहा है।** [नोडल मंत्रालय/विभागः निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग(दीपम)]	14.4.2016 की अधिसूचना द्वारा विभाग का नाम बदलकर निवेश एवं लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) किया गया है। सीपीएसई में भारत सरकार के निवेश का कार्यदक्ष प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, "केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन" से संबंधित दिशानिर्देश तारीख 27 मई, 2016 को जारी किए गए हैं जिसने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा पहले जारी सभी दिशानिर्देशों का अधिक्रमण कर लिया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
63.	90	**वित्तीय क्षेत्रक सुधार** प्रत्येक अर्थव्यवस्था के विकास हेतु एक स्फूर्त वित्तीय क्षेत्र का अत्यधिक महत्व होता है। अपने पिछले दो बजटों में, मैंने, इस संबंध में कई उपायों की घोषणा की थी। अब मैं निम्नलिखित पहलों की घोषणा करता हूँ:	
		(i) वित्तीय प्रतिष्ठानों में दिवालियापन की स्थितियों से निपटने के लिए व्यवस्थागत शून्य विद्यमान है। 2016-17 के दौरान संसद में "वित्तीय प्रतिष्ठानों की समस्याओं के समाधान संबंधी एक व्यापक संहिता" विधेयक के रूप में पुरःस्थापित की जाएगी। यह संहिता बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय क्षेत्रक के निकायों में दिवालियापन की स्थितियों से निपटने के लिए एक विशेष समाधान तंत्र उपलब्ध कराएगी। शोधन अक्षमता तथा दिवालियापन संहिता 2015 के साथ ही उस संहिता को अधिनियमित कर दिए जाने पर हमारी अर्थव्यवस्था में एक व्यापक समाधान तंत्र उपलब्ध होगा।	प्रस्तावित कानून के मसौदे का विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जाएगा और विधेयक को संसद में शीघ्र पेश किया जाएगा। ***कार्य प्रगति पर***
		(ii) आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया जा रहा है ताकि वित्त विधेयक 2016 के जरिए मौद्रिक नीति ढांचा तथा मौद्रिक नीति समिति के लिए सांविधिक आधार की व्यवस्था की जा सके। समिति आधारित दृष्टिकोण से मौद्रिक नीतिगत निर्णयों को अत्यधिक महत्व और पारदर्शिता प्राप्त होगी।	एमपीसी का गठन कर दिया गया है और यह अब कार्य कर रही है। ***कार्रवाई पूर्ण***
		(iii) वित्तीय क्षेत्र में समेकित आंकड़ा समेकन तथा विश्लेषण को सुसाध्य बनाने के लिए वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (एफएसडीसी) के तत्वावधान में एक वित्तीय आंकड़ा प्रबंधन केंद्र स्थापित किया जाएगा।	• असांविधिक वित्तीय डाटा प्रबंधन केंद्र (एफडीएमसी) स्थापित करने के संबंध में मसौदा मंत्रिमंडल नोट (डीसीएन) परिचालित किया गया था और टिप्पणियां प्राप्त की गई थीं। प्राप्त जानकारी के आधार पर, माननीय वित्त मंत्री ने सांविधिक एफडीएमसी की स्थापना का अनुमोदन दे दिया है। • मसौदा एफडीएमसी विधेयक का सुझाव देने के लिए एक समिति बना दी गई है। इस समिति ने "वित्तीय डाटा प्रबंधन केंद्र विधेयक 2016" नामक मसौदा विधेयक के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस मसौदा विधेयक को सार्वजनिक क्षेत्र में रखे जाने का प्रस्ताव है।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			• जैसे ही मसौदा मंत्रिमंडल नोट और मसौदा विधेयक को अंतिम रूप दे दिया जाएगा है, उसे अंतिम रूप देने के लिए नए सिरे से परिचालित किया जाएगा। ***कार्य प्रगति पर***
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियों में बृहत्तर खुदरा प्रतिभागिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक स्टाक एक्सचेंजों के माध्यम से तथा एनडीएस-ओएम व्यापार मंच तक पहुँच स्थापित करके प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों में प्रतिभागिता को सुसाध्य बनाएगा।	भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि प्राथमिक बाजार में खुदरा भागीदारी की अनुमति देने के लिए प्रथम कार्रवाई के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को सॉवरेन गोल्ड बांड निर्गमों के लिए प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों और ई-कुबेर में राजकोषीय हुंडियों के लिए अप्रतिस्पर्धी बोली लगाने में व्यक्तियों से प्राप्त कुल बोलियों को प्रस्तुत करने हेतु स्टॉक एक्सचेंजों को अनुमति देने की प्रक्रिया में लगा है। स्टॉक एक्सचेंजों को प्रचालनात्मक और जोखिम प्रबंधन पहलुओं पर चर्चा करने के लिए अपनी तकनीकी टीम के संपर्क में रहने का परामर्श दिया गया है। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
	(v)	सेबी द्वारा जिंस व्युत्पाद बाजार में नए व्युत्पादों को विकसित किया जाएगा।	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा आवश्यक समर्थकारी परिपत्र तारीख 28.09.2016 को जारी किया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
	(vi)	कारपोरेट बांड बाजार को गहन बनाने में सहायता करने के लिए अनेक उपाय किए जाएंगे जिनका ब्यौरा बजट भाषण के अनुबंध-II में दिया गया है। शोधन अक्षमता तथा दिवालियापन संहिता के अधिनियमन से कारपोरेट बांड बाजार के विकास को बड़ा प्रोत्साहन प्राप्त होगा।	
		अनुबंध-II	
		क) भारतीय जीवन बीमा निगम, अवसंरचना परियोजना को ऋण वृद्धि प्रदान करने के लिए अभ्यर्पित निधि की स्थापना करेगा। यह निधि अवसंरचना कंपनियों द्वारा निर्गमित ऋण रेटिंग को बढ़ाने और दीर्घावधिक निवेशकों से निवेश को सुकर बनाएगी।	अब आईएफसीएल की एसपीवी द्वारा समर्पित निधि की स्थापना की जा रही हैः अन्य अंशदाता एलआईसी, जीआईसी, एसबीआई, पीएनबी, पीएफसी और आईआरईडीए हैं।
		(ख) भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों की बजाय बाजार तंत्र के जरिए बड़े उधारकर्ताओं की वित्तपोषण संबंधी जरूरतों के एक निश्चित हिस्से तक उनकी पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।	बाजार तंत्र के माध्यम से क्रेडिट आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए ढांचा' संबंधी दिशानिर्देश तारीख 25.8.2016 को जारी किए गए हैं।
		(ग) प्रतिभूतिकरण एसपीवी द्वारा निर्गमित असूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों और पासथ्रू प्रतिभूतियों को शामिल करने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश समूह का विस्तार किया जाएगा।	आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) अधिसूचना तारीख 27 अक्तूबर 2016 को राजपत्र (संख्या फेमा 372/2016-आरबी) में प्रकाशित की गई थी।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		घ) कारपोरेट बांडों में निजी नियोजन बाजार के लिए एक समर्थकारी पारिस्थितिकी प्रणाली विकसित करने हेतु सेबी द्वारा प्रारम्भिक ऋण पेशकश के लिए एक इलेक्ट्रानिक नीलामी प्लेटफार्म विकसित किया जाएगा।	तारीख 1.7.2016 को प्रचालित किया गया।
		(ड.) प्रारम्भिक और द्वितीयक दोनों बाजारों को शामिल करके कारपोरेट बांडों के लिए एक पूर्ण सूचना भंडार को भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा।	दो चरणों में लागू किया जाना है-द्वितीयक बाजार रिपॉजिटरी तारीख 1/7/2016 को प्रचालित की गई है। चरण II (प्राथमिक निर्गम रिपॉजिटरी) को कार्यान्वित किया जाना है।
		(च) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कारपोरेट बांडों में रेपो बाजार के लिए इलैक्ट्रानिक प्लेटफार्म के लिए एक ढांचा विकसित किया जाएगा।	सेबी ने तारीख 08.07.2016 के पत्र के तहत आरबीआई को कारपोरेट बांड में रेपो बाजार के लिए इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर अंतिम रिपोर्ट अपनी टिप्पणियों के साथ भेज दी है। तारीख 25.08.2016 को भारतीय रिजर्व बैंक ने यह घोषणा की है कि वे सभी हितधारकों के परामर्श से आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेंगे। ***कार्य प्रगति पर***
(vii)		बैकिंग क्षेत्रक में दबाव युक्त आस्तियों की समस्या का समाधान करने के लिए आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अतः मैं, सारफेसी अधिनियम 2002 में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि एआरसी के प्रायोजक को उस एआरसी में 100 प्रतिशत स्टेकधारिता रखने की क्षमता प्राप्त हो तथा गैर संस्थागत निवेशकों को प्रतिभूतिकरण प्राप्तियों में निवेश की अनुमति मिले।	सारफेसी अधिनियम, 2002 में प्रस्तावित संशोधनों के लिए प्रतिभूति हित प्रवर्तन और उधार वसूली विधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक 2016 को लोक सभा द्वारा तारीख 1.8.2016 को और राज्य सभा द्वारा तारीख 8.8.2016 को पारित किया गया था तथा अधिसूचना तारीख 16.8.2016 को जारी की गई है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
(viii)		अभी हाल में, देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के "जमा राशि प्राप्त करने की अवैध स्कीमों" द्वारा धोखा-धड़ी का शिकार हो जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इन स्कीमों के सबसे अधिक शिकार गरीब तथा वित्तीय जानकारी न रखने वाले लोग होते हैं। ऐसी स्कीमों का प्रचालन प्रायः अनेक राज्यों में फैला होता है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ऐसी स्कीमों के आतंक से निपटने के लिए 2016-17 में व्यापक केंद्रीय विधान लाया जाए।	वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 2.11.2016 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मसौदा विधेयक में संशोधन किया जाए और अंतिम मसौदे को व्यापक परामर्श के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग की वेबसाइट पर डाला जाए तथा उसके बाद ही विधेयक को अंतिम रूप दिया जाए। प्राप्त अभिमत और हितधारकों के साथ किए गए विचार-विमर्श के आधार मसौदा विधेयक को संशोधित किया गया है और उसे जनता की टिप्पणियों के लिए 17.11.2016 को वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। हितधारकों और जनता से प्राप्त टिप्पणियों को संकलित किया जा रहा है और मसौदा मंत्रिमंडल टिप्पणी को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। ***कार्य प्रगति पर***
(ix)		मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि आगामी खफऐफ़न में सेबी अधिनियम 1992 में संशोधन किया जाए ताकि प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण में सदस्यों तथा पीठों की संख्या और बढ़ाई जा सके। [नोडल मंत्रालय/विभागःकारपोरेट कार्य मंत्रालय एफएसडीसी (आ.का.वि.) एफएम प्रमाग (आ.का.वि.) सीडीएम(आ.का.वि.)वित्तीय सेवाएं विभाग]	मसौदा कैबिनेट नोट को अंतिम रूप देने के लिए अंतर मंत्रालयी परामर्श किए जा रहे हैं। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
64.	91	जैसाकि माननीय सदस्य इस बात से पूर्णतः अवगत हैं; वित्तीय क्षेत्रक का सामर्थ्य एक मजबूत तथा सुचारू रूप में कार्य करने वाली बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर करता है। हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों के संपुष्टीकरण हेतु पहले से ही '**इंद्रधनुष**' नामक एक व्यापक योजना है जिसे क्रियान्वित किया जा रहा है। हमारे समक्ष अभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में **भारग्रस्त** आस्तियों की समस्या है जो काफी समय से चली आ रही है। इस संबंध में पहले ही अनेक उपाय किए गए हैं। हम बैंकों के ऋण प्रदायी और कार्मिक संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रकों जैसेकि विद्युत, कोयला, राजमार्ग, चीनी और इस्पात में संरचनात्मक समस्याओं का समाधान किया गया है। बैंक रुकी हुई परियोजनाओं के पुनरूद्धार पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए वसूलियां प्राप्त करने की दिशा में विशेष प्रयास कर रहे हैं। [नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवाएं विभाग]	सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में पूंजी लगाने का कार्य इंद्रधनुष योजना के अनुसार किया जा रहा है। सरकार ने 13 पीएसबी में ₹22,915 करोड़ की निधि आबंटित करने का निर्णय लिया है जिसमें से 75 प्रतिशत राशि तत्काल लगाए जाने के लिए चिन्हित की गई है और शेष राशि बैंकों द्वारा खास निष्पादन संकेतकों की प्राप्ति के आधार पर लगाई जाएगी। ***कार्रवाई पूर्ण***
65.	92	बैंकों के इन प्रयासों में सहायता करने तथा साथ ही ऋण वृद्धि में भी मदद करने के लिए मैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनःपूंजीकरण के लिए 2016-17 के बजट अनुमान में ₹25,000 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ । यदि इन बैंकों को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी, तो हम इसके लिए संसाधनों का पता लगाएंगे। हम इन बैंकों के साथ मजबूती से खड़े हैं। [नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवाएं विभाग, बजट प्रभाग(आ.का.वि.)]	यह एक सतत् प्रक्रिया है। कोई विशिष्ट समय सीमा नियत किए जाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने 13 पीएसबी में ₹22,915 करोड़ की निधि आबंटित करने का निर्णय लिया है जिसमें से 75 प्रतिशत राशि तत्काल लगाने के लिए चिन्हित की गई है और शेष राशि बैंकों द्वारा खास निष्पादन संकेतों को प्राप्ति के आधार पर लगाई जाएगी। ***कार्रवाई पूर्ण***
66.	93	हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुदृढ़ तथा प्रतिस्पर्धी बनना होगा। 2016-17 में बैंक बोर्ड ब्यूरो को क्रियाशील किया जाएगा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुदृढ़ीकरण हेतु एक भावी कार्य योजना तैयार की जाएगी। आईडीबीआई बैंक के रूपांतरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। सरकार इस कार्य को आगे बढ़ाएगी और अपनी शेयरधारिता को 50 प्रतिशत से कम करने के विकल्प पर भी विचार करेगी। [नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवाएं विभाग]	बैंक बोर्ड ब्यूरो दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से प्रचालनरत है। मंत्रिमंडल ने दिनांक 15.6.2016 को भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों एवं भारतीय महिला बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में विलय करने का सिद्धान्ततः अनुमोदन दे दिया है। बैंकों के समेकन के लिए रोडमैप संबंधित एजेंसियों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
67.	94	भारग्रस्त आस्तियों से संबंधित समस्याओं के तेजी से समाधान हेतु ऋण वसूली अधिकरणों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा जिसमें मौजूदा अवसंरचना में सुधार लाने तथा न्यायालयी मामलों में कम्प्यूटरीकृत प्रक्रमण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि न्यायालयों में सुनवाइयों की संख्या में कमी लाई जा सके तथा मामलों का तेजी से निपटान हो। [नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवाएं विभाग]	माननीय वित्त मंत्री द्वारा अपने पिछले बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार, आरडीडीबी और एफआई अधिनियम तथा सारफेसी अधिनियम में प्रतिभूति हित प्रवर्तन तथा ऋण वसूली विधि और प्रकीर्ण उपबंध(संशोधन) अधिनियम, 2016 के जरिए संशोधन किया गया। इन संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ यह शामिल है (i) वसूली आवेदनों का शीघ्र अधिनिर्णयन; (ii) प्रतिभूत ऋणदाताओं को प्राथमिकता; (iii) वित्तीय संस्थाओं के रूप में डिबेंचर न्यासी; (iv) प्रतिभूति हित का पंजीकरण; (v) बदलते कारोबारी माहौल में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को शक्तियां प्रदान करना; (vi) वसूली आवेदनों की इलैक्ट्रॉनिक फाइलिंग अधिगृहीत करने के लिए समर्थकारी समय क्रम। संशोधित अधिनियम से वसूली आवेदनों का शीघ्र निपटान करने में सुविधा होगी और इससे बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को उधारकर्त्ताओं से ऋण वसूलने में तथा अनर्जक आस्तियों के स्तर को कम करने में, अधिकरणों की कार्यदक्षता को बढ़ाने एवं उनके सुचारू कार्यकरण में मदद मिलेगी। शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता, 2016(आईबीसी) के उपबंधों को सारफेसी एवं आरडीडीबी एवं एफआई अधिनियम के उपबंधों के साथ सुमेलित करने से ऋण और वसूली माहौल में सुधार लाने में मदद मिलेगी। प्रतिभूत ऋणदाता को प्राथमिकता देने से ऋण देने में वृद्धि होगी जिससे आगे चलकर सम्पदा और रोजगार पैदा होंगे। पंजीकरण प्रणाली का कार्यक्षेत्र बढ़ाया जा रहा है ताकि इसमें सभी प्रतिभूत ऋणदाताओं द्वारा दिया गया प्रतिभूत ऋण शामिल किया जा सके जिससे राष्ट्रीय डाटाबेस सृजित किया जा सकेगा। अधिकरणों को मजबूत बनाने के लिए, सरकार द्वारा उपयुक्त भौतिक और आईसीटी अवसंरचना मुहैया कराई जा रही है तथा पीठासीन अधिकारियों की रिक्तियों को भरा जा रहा है एवं क्षमता निर्माण के लिए डीआरटी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हाल ही में, डीआरएटी के अध्यक्षों, डीआरटी, आईबीए के पीठासीन अधिकारियों तथा बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ ऋण वसूली के संबंध में संगोष्ठी भी आयोजित की गई। ***कार्रवाई पूर्ण।***
68.	95	व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर खड़े उद्यमियों को लाभ पहुँचाने के लिए *प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)* का शुभारंभ किया गया था। बैंकों तथा एनबीएफसी-एमएफआई ने रिपोर्ट किया है कि इस वर्ष फरवरी के आंरभ तक पीएमएमवाई के अंतर्गत, 2.5 करोड़ से भी अधिक उधार लेने वालों को मंजूर की गई राशि लगभग एक लाख करोड़ रु. पर पहुँच गई है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अगले वर्ष के लिए यह लक्ष्य बढ़ाकर ₹1,80,000 करोड़ कर दिया जाए। [नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवाएं विभाग]	वर्ष 2016-17 के लक्ष्यों के संबंध में बैंकों और एमएफआई को सूचित कर दिया गया है। डीएफएस द्वारा पोर्टल एवं वी.सी. के माध्यम से साप्ताहिक रूप से निगरानी की जाती है। चालू वर्ष (2016-17) के दौरान, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 81721.09 करोड़ रूपए की राशि मंज़ूर की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस वित्त वर्ष की समाप्ति तक ₹1,80,000 करोड़ का संवितरण लक्ष्य प्राप्त किए जाने की उम्मीद है। ***कार्रवाई पूर्ण।***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
69.	96	विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की बेहतर पहुँच उपलब्ध कराने के लिए, हम आगामी तीन वर्षों में व्यापक राष्ट्रव्यापी आधार पर डाकघरों में एटीएम और माइक्रो एटीएम सेवाओं को चालू करेंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवाएं विभाग, डाक विभाग]	**डाक विभाग** : आईटी आधुनिकीकरण परियोजना इस समय कार्यान्वयन चरण पर है। इस परियोजना के तहत, कोर बैंकिग सेवा को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। विभाग ने 1000 एटीएम स्थापित करने की योजना बनाई है। आज की स्थिति के अनुसार, देश भर में 968 एटीएम स्थापित किए गए हैं। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम की व्यवस्था करने का संबंध है, ग्रामीण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के तहत वितरित किए जाने वाले ये हस्त उपकरण माइक्रो एटीएम स्पेसिफिकेशन से युक्त हैं और यदि आवश्यक हो तो ये माइक्रो एटीएम के रूप में काम कर सकते हैं। यह माइक्रो एटीएम नकद लेनदेन, जो मैनुअली किया जाता है, के अलावा एटीएम के सभी कार्य करता है। आरआईसीटी प्रौद्योगिकी के लिए प्रयुक्त इस हस्त-उपकरण से धन निकासी/जमा पर्ची इलैक्ट्रोनिक रूप से सृजित की जा सकेगी और ग्राहक द्वारा किए गए लेन-देन का स्टेटमेंट सृजित किया जा सकता है। आरआईसीटी परियोजना के तहत, डाकघर शाखाओं को हस्त-उपकरणों के वितरण का कार्य शुरू किया गया है। अब तक 6 पायलट सर्किलों(असम, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश) में ग्रामीण डाकसेवक डाकघरों में 20945 आरआईसीटी हस्त-उपकरण भेज दिए गए हैं। आरआईसीटी सॉल्यूशन का कार्यान्वयन प्रगति पर है। अब तक 4413 ग्रामीण डाक सेवक डाकघरों में कार्य शुरू किया गया है। सभी 1,29,323 ग्रामीण डाक सेवक डाकघरों में इसका कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। ***कार्य प्रगति पर***
70.	97	सरकार के स्वामित्वाधीन कंपनियों में जनता की शेयर धारिता उच्च स्तर की पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक उपाय है। इस उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार की स्वामित्वाधीन साधारण बीमा कंपनियों को स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवाएं विभाग]	सरकारी क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियों, नामतः न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल), यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड (यूआईआईसीएल), नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल), ओरियण्टल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल) तथा जनरल इंश्योरेन्स कॉर्पोरेशन (जीआईसी) ऑफ इंडिया ने शेयरों के सूचीयन, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश तथा बाजार से पूंजी जुटाने से संबंधित उचित संकल्प पारित किए गए हैं तथा सरकार को सूचित किया गया है। तदनुसार, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति के विचारार्थ टिप्पणी, जिसमें सभी लागू नियमों और विनियमों के तहत सेबी/ आईआरडीएआई पर आधारित घरेलू पूंजी बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की शेयरधारिता को एक अथवा एक से अधिक ट्रांशों में कम करने तथा पूंजी जुटाने के लिए आईपीओ का सहारा लेने का अनुमोदन मांगा गया है, माननीय वित्त मंत्री ने अनुमोदित कर दी है। अंतर-मंत्रालयी परामर्श के पश्चात्, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के विचारार्थ टिप्पणी मंत्रिमंडल सचिवालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय को विचारार्थ भेज दी गई है। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
71.	98	**अभिशासन तथा कारोबार करने में आसानी** हमारी सरकार प्रक्रियागत सुधारों; सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सरकारी प्रक्रियाओं आदि पर विशेष ध्यान देते हुए सुशासन पर अभूतपूर्व बल दे रही है। इसके पीछे हमारा लक्ष्य यह है कि सरकारी एजेंसियों के साथ जन-साधारण के पारस्परिक संबंध के बीच आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके। [नोडल मंत्रालय/विभागः इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग]	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने इस संबंध में कई उपाय किए हैं, जिनमें ये शामिल हैं: i) लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार'' शुरू किया गया है; ii) ई-गवर्नेंस इंडेक्स में भारत के स्थान को सुधारने के लिए डीएआरपीजी ज्ञान विनिमय कार्य, तकनीकी सहयोग गतिविधियों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है; iii) मिनिमम गवर्मेंट द्व मैक्सिमम गवर्नेंस पहलों के तहत, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अतंर्गत एक मिशन मोड के रूप में ई-ऑफिस प्रारंभ किया गया है; iv) वर्ष 2007 से 142 केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों/संगठनों तथा 18000 अधीनस्थ उपयोगकर्ताओं को जोड़ते हुए 'केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली' (सीपीजीआरएएमएस) नामक ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र तैयार किया गया है; v) दिनांक 21.10.2015 को एक मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत एन्ड्रॉयड आधारित मोबाइल फोन पर लोक शिकायत दर्ज करने की सुविधा है। ***कार्य प्रगति पर***
72.	99	विभिन्न मंत्रालयों में मानव संसाधनों के यौक्तिकीकरण के लिए एक कार्य बल गठित किया गया है। स्वायत्त निकायों की व्यापक समीक्षा और इनका यौक्तिकीकरण भी किया जा रहा है। [नोडल मंत्रालय/विभागः कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग,नीति आयोग]	मानव ससांधनों की बेहतरी से संबंधित कार्यबल की रिपोर्ट मंत्रिमंडल सचिव को प्रस्तुत की गई है। ***कार्य प्रगति पर***
73.	100	न्यूनतम सरकार और अधिकतम अभिशासन का अति महत्वपूर्ण घटक है - वास्तविक लाभार्थियों को सरकारी सब्सिडियों और वित्तीय सहायता का लक्ष्यबद्ध संवितरण सुनिश्चित करना। सरकारी धन निर्धनों और पात्र व्यक्तियों के पास बिना किसी विपथन के पहुँचना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तीन विशिष्ट पहल प्रस्तावित हैं • पहला, हम *आधार* व्यवस्था का प्रयोग करके वित्तीय सहायता और अन्य सब्सिडियों, लाभों और सेवाओं की लक्ष्यबद्ध सुपुर्दगी के लिए विधेयक पेश करेंगे। यह विधेयक संसद के वर्तमान बजट सत्र में पेश किया जाएगा। तथापि, *आधार* संख्या या प्रमाणीकरण से नागरिकता या निवास स्थान का कोई अधिकार नहीं मिलता। लाभार्थियों को सही ढंग से लक्षित करने के लिए 'आधार' का	• आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित सुपुर्दगी) अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया गया है, जो दिनांक 12.09.2016 से प्रभावी है।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		प्रयोग करते हुए सामाजिक सुरक्षा मंच तैयार किया जाएगा। यह एक परिवर्तनकारी कानून होगा जिससे निर्धन और कमजोर वर्ग लाभान्वित होंगे	
		● दूसरा, हम एलपीजी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पहले ही प्रारंभ कर चुके हैं। इस सफल अनुभव के आधार पर, अब हमारा प्रस्ताव देश के कुछ जिलों में उर्वरकों के लिए प्रायोगिक आधार पर डीबीटी प्रारंभ करने का है ताकि किसानों को सेवा सुपुर्दगी की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके	● पायलट आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण रबी के मौसम (अक्तूबर, 2016) से होगा तथा सितंबर, 2017 तक पूरा किया जाएगा।
		● तीसरा, देश की 5.35 लाख उचित दर दुकानों में से 3 लाख उचित दर दुकानों को मार्च, 2017 तक स्वचालन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।	देश भर में 1,77,746 उचित दर दुकानों में पहले से ही आटोमेशन सुविधा है।
		[नोडल मंत्रालय/विभागः इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग(डीजी, यूआईडीएआई), उर्वरक विभाग,खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग]	**उर्वरक विभाग :** 16 जिलों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं : ● उर्वरक विभाग में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रकोष्ठ (पीएमयू) सृजित किया गया है और आईटी एवं आईईसी परामर्शदाताओं की तैनाती की गई है। ● एक संयुक्त सचिव को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। पायलट जिलों के लिए जिला परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है। ● मुख्यालय में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण अधिकारियों तथा एनआईसी को शामिल करते हुए एक हेल्प डेस्क बनाया गया है। ● 01 अक्तूबर, 2016 से कृष्णा एवं पश्चिम गोदावरी जिलों में इसका सक्रिय कार्य शुरू किया गया है। ● शेष 14 पायलट जिलों के लिए पीओएस उपकरणों की षरीद अंतिम चरण पर है। ● पीओएस उपकरणों के लिए साफ्टवेयर एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। ● दिनांक 07.09.2016 को कलक्टरों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। कलक्टरों के नेतृत्व में जिलों में मास्टर प्रशिक्षण की निगरानी के लिए संयुक्त कार्य समूह गठित किए गए हैं और जिलों को साप्ताहिक आधार पर प्रगति की निगरानी करनी है। ● दिनांक 06.10.2016 को पायलट जिलों के मास्टर प्रशिक्षण तथा जिला परामर्शदाताओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। ● सभी पायलट जिलों में रिटेलरों का प्रशिक्षण चल रहा है। ● बॉयोमेट्रिक प्राधिकरण पर लाभार्थियों के डेमोग्राफिक ब्यौरे की पहुंच के लिए यूआईडीएआई के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			प्रत्यक्ष लाभ अंतरण(डीबीटी) फ्रेमवर्क के तहत सब्सिडी भुगतान की प्रगति प्रणाली प्रस्तावित डीबीटी प्रणाली में लाभानुभोगी को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक विनिर्माण कंपनियों को सब्सिडी का शत-प्रतिशत भुगतान करने की व्यवस्था है। किसान अथवा खरीदार की पहचान बायोमीट्रिक, आधार आधारित, विशिष्ट पहचान संख्या अथवा मतदाता पहचान-पत्र अथवा किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सत्यापित की जाएगी। आधार आधारित बायोमीट्रिक सत्यापन को तरजीह दी जाती है क्योंकि यह किसान के भूमि रिकार्ड और मृदा स्वास्थ्य कार्ड से सम्बद्ध होती है। इससे लाभानुभोगी के स्वामित्व में कृषि भूमि के मृदा स्वास्थ्य के अनुरूप उर्वरकों के उपयुक्त मिश्रण की सिफारिश करने में मदद मिलेगी। तथापि, यह सिफारिश लाभानुभोगी के लिए बाध्यकर नहीं है और उर्वरक की बिक्री आरंभ में 'कोई इन्कार नहीं' के आधार पर की जाएगी। लाभानुभोगी को की गई बिक्री खुदरा विक्रेता के पास संस्थापित पीओएस मशीन के जरिए दर्ज की जाती है। समस्त उर्वरक बिक्री के लेन-देन को समेकित उर्वरक प्रबंधन प्रणाली(आईएफएमएस) में ऑन-लाइन (कंपनीवार, संयंत्रवार, शीर्षवार, उत्पादवार इत्यादि) ट्रैक किया जाता है और उर्वरक विभाग द्वारा साप्ताहिक आधार पर दावों पर कार्रवाई की जाती है तथा इलैक्ट्रानिक तरीके से कंपनी के बैंक खाते में सब्सिडी की राशि जमा कर दी जाती है। प्रस्तावित भुगतान प्रक्रिया को लेखामहानियंत्रक के कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। ***कार्य प्रगति पर***
74.	101	हमें माल और सेवाओं की सरकारी खरीद में और अधिक पारदर्शिता और दक्षता लानी है। आपूर्ति और निपटान महानिदेशक (डीजीएसएंडडी) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति को सुसाध्य बनाने के लिए एक प्रौद्योगिकी प्रेरित मंच की व्यवस्था करेगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः वाणिज्य विभाग(डीजीएस एंड डी]	सरकारी खरीदारों के लिए साधारण उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीईएम का प्रथम चरण, एनईजीडी (एमईआईटीवाई) के सहयोग में सृजित किया गया है, जो 09 अगस्त, 2016 से प्रचालन में है। इस समय, 5300 उत्पादों और किराए पर परिवहन सेवाओं की सूची जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध है। डीजीएस एडं डी, जीईएम पर मदों की पहचान, मुख्य विनिर्देशन/ पैरामीटरों को तैयार करने, विक्रेताओं के लिए एसएलए से संबंधित कार्य निरतंर कर रहा है। उचित मूल्यों पर खरीद के लिए उत्पाद श्रेणी में 127 बोली और 45 आरए तथा 39 बोली और 25 आरए सफल रूप से आयोजित किए गए हैं। अब तक लगभग 1600 सरकारी उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत किया गया है। ***कार्य प्रगति पर***
75.	102	कारोबार करना सरल बनाने के लिए कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से हम संसद के वर्तमान बजट सत्र में कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करेंगे। इस	**कंपनी अधिनियम में संशोधन :** • कंपनी अधिनियम, 2013 को संशोधित करने के लिए विधेयक दिनांक 16.03.2016 को लोक सभा में पेश किया गया।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		विधेयक से स्टार्ट-अप कंपनियों के लिए अनुकूल माहौल में भी और सुधार लाया जा सकेगा। कंपनियों का पंजीकरण भी एक दिन में हो जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः कारपोरेट कार्य विभाग]	• वित्त संबंधी स्थायी समिति ने 7.12.2016 को संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है। • हाल ही में तारीख 1.10.2016 की अधिसूचना संख्या 936(अ) के जरिए कंपनी(निगमन) की चौथी संशोधन नियमावली, 2016 को अधिसूचित किया गया जिसके जरिए ई-एमओए और ई-एओए के साथ कंपनियों के निगमन के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा(स्पाइस) निर्धारित किया गया जो आवेदनकर्ता द्वारा एमओए तथा एओए पर भौतिक रूप से हस्ताक्षर करने की जरूरत को समाप्त करेगा तथा जो उद्यमियों को बिना किसी अड़चन के भारत में कारोबार शुरू करने में मदद करेगा। 90 प्रतिशत से अधिक ई-फार्मों पर उसी कार्य दिवस को या अगले कार्य दिवस को कार्रवाई कर दी जाती है। • मासिक औसत आधार पर, कंपनियों के निगमन के लिए 90 प्रतिशत से अधिक आवेदनों पर नवस्थापित केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र द्वारा अगले कार्य दिवस की समाप्ति तक कार्रवाई कर ली जाती है। **कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण**
76.	103	आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की मॉनीटरिंग सुशासन का प्रमुख अवयव है। दालों की कीमतों में तीव्र वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर और मूल्य स्थिरीकरण निधि से बाजार मूल्य पर खरीद करते हुए दालों का बफर स्टाक बनाने की मंजूरी दी है। बाजार के हस्तक्षेपों को संभालने के लिए इस निधि में ₹900 करोड़ की आधारभूत निधि का प्रावधान किया गया है। [नोडल मंत्रालय/विभागः उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग]	**खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग :** • एसएफएसी, एमएमटीसी, एफसीआई और नेफेड जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए खरीद हेतु मूल्य स्थिरीकरण निधि के तहत ₹150 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं। • खरीद करने वाले 18 प्रमुख राज्यों में से 15 राज्यों ने विकेन्द्रीकृत खरीद को स्वीकार किया है। • शेष 03 राज्यों को इस विषय में अनुपालन कार्य करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। • 18 राज्यों में से 07 राज्यों ने आन-लाईन खरीद प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वित किया है, 05 राज्यों ने इसे आंशिक रूप से कार्यान्वित किया है तथा 01 राज्य कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। **उपभोक्ता मामले विभाग** • पीएसएफ के अंतर्गत ब.अ. 2016-17 में आवंटित 900 करोड़ रूपए में से, ₹899.98 करोड़ एसएफएसी, एफसीआई, नेफेड तथा एमएमटीसी को रबी दालों और प्याज की खरीद के लिए तथा दालों के आयात के लिए जारी की गई है। • आरएमएस 2016-17 से, नेफेड, एसएफएसी और एफसीआई द्वारा लगभग 69,050 टन चना और मसूर की खरीद की गई जबकि लगभग 17,748 टन प्याज की खरीद एसएफएसी और नेफेड की गई। • एमएमटीसी ने भी लगभग 1.76 लाख टन दालों के आयात के लिए संविदाएं की हैं।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			• तदनन्तर, 2016-17 के पहली और दूसरी पूरक अनुदान मांगों में पीएसएफ के अंतर्गत क्रमशः ₹500 करोड़ और लगभग ₹2000 करोड़ भी आवंटित किए गए। आज की स्थिति के अनुसार, दालों का सुरक्षित भंडार बनाने के लिए विनिर्दिष्ट अभिकरणों द्वारा 8.24 लाख टन दालों की खरीद की गई है अथवा उनके आयात के लिए संविदा की गई है। ***कार्य प्रगति पर***
77.	104	अध्यक्ष महोदया, सुशासन के लिए हमें देश की विविधता में एकता से लाभ उठाना होगा। आपसी समझ को सुदृढ़ करने के लिए, विभिन्न राज्यों और जिलों के बीच ढांचागत घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रस्ताव है। राज्यों और जिलों को परस्पर जोड़ने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम "एक भारत श्रेष्ठ भारत" प्रारंभ किया जाएगा जो भाषा, व्यापार, संस्कृति, यात्रा और पर्यटन के क्षेत्रों में आदान-प्रदान के माध्यम से लोगों को एक दूसरे से जोड़ेगा। हम प्रतिभागी राज्यों और जिलों की भागीदारी के साथ पारस्परिक करार के माध्यम से इसे अमल में लाएंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागः संस्कृति मंत्रालय]	माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 31.10.2016 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'भारत का एकीकरणः सरदार पटेल' शीर्षक डिजिटल प्रदर्शनी के दौरान सरदार पटेल पर एक वेब पोर्टल प्रारंभ किया और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' स्कीम पर एक पुस्तिका जारी की। इस अवसर पर 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के तहत गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों को परस्पर विनिमय किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 31.10.2016 के आदेश के अनुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) को अब एक भारत श्रेष्ठ भारत'' के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया है। अब, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय करके 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित गतिविधियों के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य कर रहा है। इस संबंध में, 15-24 अक्तूबर, 2016 के दौरान नई दिल्ली में सात आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्रों के तत्वावधान में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उसके समृद्ध और विविध आयामों में प्रदर्शित करने के उद्देश्य से दूसरा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव -2016 आयोजित किया गया। इसी प्रकार के महोत्सव देश के जम्मू, तवांग, बंगलूरू जैसे विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है और इस श्रृंखला में एक महोत्सव 17-24 दिसंबर, 2016 के दौरान वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। ***कार्य प्रगति पर***
78.	105	वर्ष 2017 में, हमारा देश अपनी स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ मनाएगा। हम स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ के आगे राष्ट्र की यात्रा के लिए नए मुकाम तय करेंगे। इतिहासकार डॉ. टॉयनबी ने कहा था कि 'एक अध्याय जिसका प्रारंभ पश्चिमी था, उसका अंत भारतीय ही होना होगा...'मेरा विश्वास है कि वर्ष 2017 उस महान इतिहासकार के सपने को सच सिद्ध करेगा। हमारी स्कीम "एक भारत श्रेष्ठ भारत" इस स्वप्न का ही हिस्सा है। [नोडल मंत्रालय/विभागः संस्कृति मंत्रालय]	70वां स्वतंत्रता दिवस समारोह वित्त वर्ष 2017-18 में 15 अगस्त, 2017 को प्रारंभ होगा। इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई उचित समय पर प्रारंभ की जाएगी। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
79.	109	यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है। उत्तरोत्तर समितियों ने सरकारी व्यय के आयोजना और आयोजना-भिन्न वर्गीकरण की जरूरत पर प्रश्न उठाया है। वर्षों से एक व्यापक समझ यह रही हैं कि आयोजना व्यय अच्छे और आयोजना-भिन्न व्यय बुरे होते हैं। इसकी परिणति बजट में विकृत आवंटनों में होती है। हमें इसे ठीक करने और सरकारी व्यय के राजस्व और पूँजी वर्गीकरण पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अतः हमने निर्णय लिया है कि आयोजना और आयोजना-भिन्न वर्गीकरण को वित्तीय वर्ष 2017-18 से समाप्त कर दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय इस मामले में, केंद्रीय और राज्यों के बजटों को समरूप बनाने के लिए, राज्य के वित्त विभागों के साथ घनिष्ठता से कार्य करेगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः व्यय विभाग, बजट प्रभाग(आ.का.वि.)]	एक समिति गठित की गई है जो राज्यों के परामर्श से कार्य कर रही है। मंत्रालय और सीजीए बजटीय व्यवस्था और व्यय के नए दृष्टिकोण को अपनाने के लिए बजट एवं लेखांकन के विभिन्न तौर-तरीकों को अंतिम रूप देंगे। व्यय और बजट के वर्गीकरण के संबंध में ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। स्कीमों/परियोजनाओं/ नए निकायों के सृजन के मूल्यांकन संबंधी आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं ताकि उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित किया जा सके। दिनांक 21.09.2016 को मंत्रिमंडल द्वारा बजट और लेखाओं में आयोजना और आयोजना-भिन्न वर्गीकरण का विलय करने से संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। वर्ष 2017-18 के बजट से इसे कार्यान्वित किया जाएगा। ***कार्रवाई पूर्ण।***
80.	110	सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा मंजूर की जा रही प्रत्येक नई स्कीम की समापन तारीख होगी और परिणाम की समीक्षा होगी। इस वर्ष के बजट का आशाजनक लक्षण यह है कि हमने राजस्व घाटे को सं.अ. 2015-16 में सघउ के 2.8 प्रतिशत से सुधार करते हुए 2.5 प्रतिशत पर ला दिया है। [नोडल मंत्रालय/विभागः व्यय विभाग]	यह एक सतत् प्रकिया है। सावधि विधि खंड, वित्त आयोग के निधि प्रवाह चक्र के साथ-साथ परियोजनाओं को समाप्त करेगा। व्यय विभाग ने नीति आयोग के अनुमोदन से प्रत्येक स्कीम के लिए परिणाम मूल्यांकन ढांचा तैयार करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों से कहा है। व्यय विभाग(पीएफ-।।) के तारीख 5.8.2016 के आदेश के जरिए सरकारी निधि से पोषित स्कीमों और परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण।***
81.	111	एफआरबीएम अधिनियम एक दशक से अधिक समय से कार्यान्वयनाधीन रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन से महत्वपूर्ण लाभ लिए हैं। ऐसा मानने वालों का एक समूह है जो यह विश्वास करता है कि राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों की नियत संख्याओं की बजाय यह बेहतर होगा कि लक्ष्य के रूप में राजकोषीय घाटे की रेंज रखी जाए जो बदलती स्थितियों से निपटने में सरकार के लिए आवश्यक नीतिगत गुजांइश देगी। एक सुझाव यह भी है कि राजकोषीय विस्तार या संकुचन को अर्थव्यवस्था में क्रमशः ऋण संकुचन अथवा विस्तार के अनुरूप किया जाए। राजकोषीय विवेक और समेकन के प्रति वचनबद्ध रहते हुए, अब समय आ गया है कि विशेषतया अनिश्चितता और अस्थिरता जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के नए मापदंड बन गए हैं, के परिप्रेक्ष्य में एफआरबीएम अधिनियम के कार्यकरण की समीक्षा की जाए। इसलिए, मैं एफआरबीएम अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और भावी मार्ग हेतु सिफारिशें करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव करता हूं। [नोडल मंत्रालय/विभागः बजट प्रभाग(आ.का.वि.]	भविष्य के लिए एफआरबीएम रोडमैप की समग्र समीक्षा तथा सिफ़ारिश करने हेतु समिति के गठन के संबंध में दिनांक 18.05.2016 को आदेश जारी किया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण।***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
82.	114	मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती और गुरू गोबिंद सिंह की 350वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रत्येक हेतु, ₹100 करोड़ की आरंभिक राशि भी आवंटित की है। [नोडल मंत्रालय/विभागः संस्कृति मंत्रालय]	स्मरणोत्सव हेतु राष्ट्रीय समितियों (एनसी)तथा कार्यकारी समितियों (ईसी) दोनों को पुनर्गठित किया गया है और अधिसूचित किया गया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 15.12.2016 को कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई। ***कार्य प्रगति पर***
83.	117	सरकार राष्ट्र निर्माण में करदाताओं की भूमिका के महत्व को स्वीकारती है। जनता से कर के रूप में उगाहे गए प्रत्येक रुपए का, बेहतर अवसंरचना मुहैया कराने, ग्रामीण पुनरुद्धार और सामाजिक कल्याण के सरकार के प्रयासों में योगदान होता है। समाज से गरीबी और असमानता को समाप्त करने में कराधान सरकार के पास उपलब्ध एक प्रमुख साधन है। यदि हम इस परिप्रेक्ष्य से इस साधन का प्रयोग न करें तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी।	वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण 2016-17 में की गई कर-प्रस्ताव संबंधी घोषणाओं के अनुसरण में, 51 सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचनाओं (प्रशुल्क और प्रशुल्क-भिन्न) और 12 सेवा कर अधिसूचनाओं को जारी किया गया। कोयला, लिग्नाईट और पीट पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर की दर ₹300 प्रति टन से बढ़ाकर ₹400 प्रति टन कर दी गई है। इस संबंध में वित्त विधेयक के खंड 232 का संदर्भ लिया जा सकता है।
		इस वर्ष मेरे कर प्रस्तावों में निम्नलिखित नौ श्रेणियों पर मुख्य बल दिया गया हैः- (1) छोटे करदाताओं को राहत (2) विकास तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उपाय (3) मेक इन इंडिया में सहायता के लिए घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन देना (4) पेंशन प्राप्त समाज की ओर बढ़ने के उपाय (5) सस्ते आवनास निर्माण को बढ़ावा देने के आपाय (6) कृषि ग्रमीण अर्थव्यवस्था तथा स्वच्छ पर्यापवरण हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना (7) कराधान के मामले में मुकदमेबपाजी कम करना तथा निश्चितता का माहौल ब्बनाना (8) कराधान का सरलीकरण और यौक्तिकरण (9) जवाबदेही निर्धारित करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	सीबीईसी में यह एक निरंतर एवं सतत प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी किए गए हैं कि मामले की गहन जांच करने के पश्चात् ही विभाग अपील दायर करे। सेस्टेट, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में विभागीय अपीलें दायर करने के लिए क्रमशः ₹10 लाख, ₹15 लाख और ₹25 लाख की प्रारंभिक सीमा तय की गई है। यदि अंतर्ग्रस्त राशि निर्धारित प्रारंभिक सीमा से कम होती है तो विभागीय अपीलें वापस ली जाएंगी। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारिती द्वारा फाइल किए जाने वाले रिटर्न की संख्या 27 से कम करके 13 कर दी गई है। विभिन्न श्रेणी के यात्रियों के लिए ड्यूटी फ्री अलाउंस के अधिक स्लैबों को सरल एवं युक्तिसंगत बनाने के लिए बैगेज नियमावली, 2016 को अधिसूचित किया गया है। शुल्क योग्य वस्तुओं को लेकर आने वाले यात्रियों के लिए कस्टम घोषणा की फाइलिंग निर्धारित करने के लिए कस्टम बैगेज घोषणा विनियम, 2013 को संशोधित किया गया है। करदाता को ई-फाइलिंग के माध्यम से दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा और दस्तावेजों की प्रास्थिति को सक्रिय रूप से ट्रैक करने की अनुमति है। ड्रॉबैक के रूप में ऑन लाईन पर निर्यातकों को प्रतिवर्ष ₹27000 करोड़ से अधिक का संवितरण। लगभग 65 प्रतिशत कार्गो की त्वरित क्लियरेन्स के लिए जोखिम प्रबंध प्रणाली प्रारंभ की गई।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			सीमा-शुल्क स्विफ्ट (व्यापार सुकर बनाने के लिए एकल खिड़की इंटरफेस) स्वीकृति निर्यातकों/ आयातकों को एक साझा इलैक्ट्रानिक "एकीकृत घोषणा" फाइल करने के लिए सक्षम बनाती है, जो सीमा शुल्क, एफएसएसएआई, पादप संगरोधन, पशु संगरोधन, ड्रग नियत्रंक, केन्द्रीय वन्य जीव ब्यूरो तथा वस्त्र समिति की अपेक्षाओं का ध्यान रखती है और यह सीमा शुल्क सहित उक्त 6 विभिन्न अभिकरणों द्वारा अपेक्षित नौ अलग अलग प्रपत्रों का स्थान ले लेगी। निर्धारितियों के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर सहित एक सर्विस डेस्क स्थापित किया गया है। निर्धारिती ई-मेल सेवा का उपयोग 24x7 कर सकते हैं। सर्विस डेस्क को प्राप्त सभी कॉल एवं ई-मेल को सर्विस डेस्क एजेंट द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए नोट / संगृहीत किया जाता है। सीबीईसी टीम द्वारा निगरानी की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप शिकायत निवारण उन्नत कोटि का होता है। आइसगेट - हेल्प डेस्क द्वारा कार्य करने वाली आईसीईएस संबंधी शिकायतों का निवारण करने वाली प्रणाली भी है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
84.	130	मैं 1.4.2017 से सामान्य अपवंचन रोधी नियम (जीएएआर) क्रियान्वित करने की हमारी वचनबद्धता को दोहराना चाहूंगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	जीएएआर से संबंधित संगत प्रावधान आयकर अधिनियम में पहले से ही रखा गया है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
85.	152	मैं, सभी कर-योग्य सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत की दर से कृषि कल्याण उपकर नामक उपकर लगाने का प्रस्ताव करता हूं, जिससे हुई प्राप्तियों का उपयोग विशिष्ट रूप से कृषि सुधार और किसान कल्याण से संबंधित कार्यकलापों के वित्तपोषण के लिए प्रयुक्त होगा। यह उपकर 1 जून, 2016 से लागू होगा। इस उपकर का निविष्टि कर क्रेडिट इस उपकर के भुगतान के लिए उपलब्ध होगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 161 में समर्थकारी प्रावधान दिनांक 14.05.2016 से प्रभावी हो गया है। वित्त अधिनियम में उक्त धारा को प्रभावी बनाने के लिए दिनांक 26.05.2016 को अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। ***कार्रवाई पूर्ण।***
86.	153	भारतीय शहरों में प्रदूषण और यातायात की स्थिति चिंता का सबब है। मैं, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी की छोटी कारों पर 1 प्रतिशत, कतिपय क्षमता वाली डीजल कारों पर 2.5 प्रतिशत और अधिक इंजन क्षमता वाले अन्य वाहनों और एसयूवी पर 4 प्रतिशत अवसंरचना उपकर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	अधिसूचना संख्या 1/2016 अवसंरचना उपकर दिनांक 01.03.2016 के साथ पठित ग्यारहवीं अनुसूची के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 162 के तहत कार्यान्वित किया गया। ***कार्रवाई पूर्ण।***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
87.	156	मैं कोयला, लिग्नाइट और पीट पर लगाए गए स्वच्छ ऊर्जा उपकर को 'स्वच्छ पर्यावरण उपकर' का नया नाम देने और इसके साथ ही साथ इसकी दर ₹200 प्रति टन से बढ़ाकर ₹400 प्रति टन करने का प्रस्ताव करता हूं। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	वित्त अधिनियम 2016 की धारा 235 (ii) द्वारा यथा संशोधित वित्त अधिनियम, 2010 की दसवीं अनुसूची के तहत कार्यान्वित किया गया। ***कार्रवाई पूर्ण।***
88.	160	मैं, घरेलू करदाताओं हेतु सीमित अवधि अनुपालना विंडो का प्रस्ताव करता हूं ताकि वे अघोषित आय या किसी आस्ति के रूप में प्रस्तुत आय की घोषणा करने और 30 प्रतिशत की दर से कर, एवं 7.5 प्रतिशत की दर से अधिभार तथा 7.5 प्रतिशत की दर से शास्ति, जो अघोषित आय का कुल 45 प्रतिशत बैठता है, का भुगतान करके अपने पहले के कर अतिक्रमण का निपटान कर लें। आयकर अधिनियम अथवा संपत्ति कर अधिनियम के तहत इन विवरणों में घोषित आय के संबंध में कोई छानबीन अथवा जांच नहीं होगी तथा घोषणाकर्ता अभियोजन से मुक्त होगा। कतिपय शर्तों के अधीन बेनामी लेनदेन (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 से भी छूट देने का प्रस्ताव है। अघोषित आय पर 7.5 प्रतिशत की दर पर लगाए गए अधिभार को कृषि कल्याण अधिभार कहा जाएगा और इसे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी 1 जून से 30 सितम्बर, 2016 तक चलने वाली इस आय प्रकटन योजना के तहत, घोषणा के दो माह के भीतर देय राशि अदा करने के विकल्प के साथ नई विंडो खोलने की योजना है। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय IX में आय घोषणा स्कीम, 2016 है। यह स्कीम 1 जून, 2016 से प्रभावी है और इस संबंध में संगत नियमावली अधिसूचित की गई है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
89.	162	मुकदमेबाजी किसी करानुकूल प्रणाली के लिए अनिष्टकारी होती है और करदाताओं की अनुपालन लागत और सरकार की प्रशासनिक लागत बढ़ाने के अलावा, अविश्वास का माहौल सृजित करती है। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष कर संबंधी लगभग 3 लाख मामले लंबित पड़े हैं जिनकी विवादित राशि ₹5.5 लाख करोड़ है। इनकी संख्या कम करने के उद्देश्य से, मैं एक नई विवाद निपटान स्कीम (डीआरएस) लाने का प्रस्ताव करता हूं। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय X में प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 है। यह स्कीम 1 जून, 2016 से प्रभावी है और इस संबंध में संगत नियमावली अधिसूचित की गई है। ***कार्रवाई पूर्ण।***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
90.	164	मैंने, अपने जुलाई, 2014 के बजट भाषण में यह आश्वासन दिया था कि यह सरकार पूर्व-प्रभाव से नई करदेयता सृजित नहीं करेगी। मैंने यह भी आशा प्रकट की थी कि वित्त अधिनियम, 2012 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 में किए गए कतिपय पूर्व-प्रभावी संशोधनों से संबंधित विभिन्न न्यायालयों तथा अन्य कानूनी मंचों में लंबित मामलों का शीघ्र ही तर्कसंगत निपटान किया जाएगा। मैं यह भी दोहराना चाहता हूं कि हम एक स्थिर और सरल कर-प्रणाली लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम भविष्य में ऐसे संशोधनों का सहारा नहीं लेंगे। मैंने एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की भी घोषणा की थी, जो ऐसे किसी भी नए मामले पर विचार करेगी जहां कर निर्धारक अधिकारी पूर्व-प्रभावी संशोधन का प्रयोग करके अप्रत्यक्ष अंतरणों के संबंध में आय का निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण करने का प्रस्ताव रखता है। कर वंचन की किसी आशंका को समाप्त करने के लिए, अब इस समिति के अध्यक्ष राजस्व सचिव होंगे और इसमें अध्यक्ष, सीबीडीटी और बाहर के एक विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह समिति आश्वासनों के कारगर क्रियान्वयन पर नजर रखेगी। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	दिनांक 10.05.2016 के आदेश के तहत, राजस्व सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
91.	165	पूर्व-प्रभावी संशोधन के तहत चल रहे विगत मामलों को एक अवसर प्रदान करने के लिए, मैं उनके लिए विवाद निपटान की एक एकबारगी स्कीम का प्रस्ताव करता हूं जिसमें, बशर्ते कि वे बीआईपीए सहित किसी न्यायालय अथवा अधिकरण में लंबित मामले या किसी माध्यस्थम कार्यवाही को वापस लेने की सहमति व्यक्त करते हों, वे केवल कर बकायों का भुगतान करके अपना मामला निपटा सकते हैं। इस मामले में ब्याज और आर्थिक दंड माफ किया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय **X** में प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम, 2016 है। यह स्कीम 1 जून, 2016 से प्रभावी है और इस संबंध में संगत नियमावली अधिसूचित की गई है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
92.	166	उच्चतम न्यायालय द्वारा सांविधिक प्रावधानों तथा दंड लगाने के मार्गदर्शक सिद्धांतों की व्याख्या पर कई निर्णय देने के बावजूद, आय छिपाने के लिए	वित्त अधिनियम, 2016 के माध्यम से नई धारा 270क शामिल करके दंड के प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने के लिए आयकर अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		भारी अर्थदंड लगाने के फलस्वरूप, विगत वर्षों से विवादों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। इस समय आयकर अधिकारी को अपवंचित माने गए कर पर 100 प्रतिशत से लेकर 300 प्रतिशत की दर से दंड लगाने का विवेकाधिकार है। मैं आर्थिक अपराधों की विभिन्न श्रेणियों के साथ-साथ दंड की मात्रा का निर्धारण करके संपूर्ण दंड प्रणाली को संशोधित करने और इस प्रकार कर अधिकारियों के विवेकाधिकार को काफी हद तक कम करने का प्रस्ताव करता हूं। अब आय को कम दर्शाने के मामले में, कर के 50 प्रतिशत और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के मामले में कर के 200 प्रतिशत की अर्थदंड दर होगी। विशेष स्थितियों में, जहां कर अदा किया गया हो और अपील दायर न की गई हो, में दंड माफी का भी प्रस्ताव किया जाता है। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	इसके अतिरिक्त, धारा 270कक भी शामिल की गई है, जिसमें विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत दंड की माफी के लिए प्रावधान है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
93.	168	करदाता अनुकूल एक-दूसरे उपाय के रूप में, मैं ब्याज और अर्थदंड की माफी चाहने वाले करदाताओं की याचिकाओं का निपटान करने हेतु एक वर्ष की समय-सीमा देने का प्रस्ताव करता हूं। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	वित्त अधिनियम, 2016 के माध्यम से धारा 220, 273क और 273कक में संशोधन करके आयकर अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण।***
94.	169	आयकर विभाग भी अनुदेश जारी कर रहा है जिसमें निर्धारण अधिकारी के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि जब आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील लंबित हो, तो वह निर्धारिती द्वारा विवादित मांग के 15 प्रतिशत का भुगतान किए जाने पर मांग के स्थगन को मंजूर करें। विचलन के मामले में, निर्धारण अधिकारी को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश प्राप्त करने होंगे। करदाता को भी वरिष्ठ अधिकारी के पास जाने का विकल्प होगा, यदि वह अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जारी स्थगन आदेश की शर्तों से सहमत न हो। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	दिनांक 29.02.2016 के कार्यालय ज्ञापन के तहत आईटी एवं सीटी प्रभाग द्वारा क्षेत्रीय प्राधिकारियों को आवश्यक निदेश पहले ही जारी किए गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण।***
95.	170	मामलों का बैकलॉग समाप्त करने के लिए, हम सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवाकर अपीलीय अधिकरण (सेस्टेट) के 11 नए पीठ सृजित कर रहे हैं। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	जीएसटी के कार्यान्वयन के आलोक में, अलग अपीलीय अधिकरण परिचालन में होंगे। अतः माननीय वित्त मंत्री के अनुमोदन से सेस्टेट की 11 नई शाखाएं सृजित करने के प्रस्ताव को छोड़ने का निर्णय लिया गया है। ***प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है।***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
96.	172	मैं, सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में संशोधन का भी प्रस्ताव करता हूं, जिससे ऋण प्रवाह में सुधार लाया जा सके, अनुपालन भार और उससे जुड़ी मुकदमेबाजी, खासकर छूट प्राप्त और गैर-छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों/सेवाओं के बीच क्रेडिट विभाजन से संबंधित मुकदमेबाज़ी को कम किया जा सके। इस नियमावली में संशोधन से बहु-विनिर्माण इकाइयों वाले विनिर्माता निविष्टियों के लिए एक सामान्य भांडागार को बनाए रखने और क्रेडिट युक्त निविष्टियों को अलग-अलग विनिर्माण इकाइयों को वितरित करने में समर्थ हो सकेंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	अपेक्षित अधिसूचना संख्या 13/2016-सीई (एनटी) दिनांक 01.03.2016 जारी की गई है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
97.	174	करों की बहुलता, उससे जुड़े प्रपाती प्रभाव में कमी लाने और संग्रहण की लागत को कम करने के लिए, मैं विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लगाए गए 13 उपकरों, जिनमें एक वर्ष में राजस्व संग्रहण ₹50 करोड़ से कम है,को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	बजट भाषण 2016-17 में समाप्त किए जाने के लिए प्रस्तावित 13 उपकरों में से 11 उपकरों को वित्त अधिनियम, 2016 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, शेष दो मदों पर लगे उपकर के संबंध में, सीमेंट पर उगाही औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा दिनांक 29.07.2016 को समाप्त कर दी गई है। स्ट्रॉ बोर्ड पर उपकर को समाप्त करने के लिए, इस मामले को डीआईपीपी के साथ उठाया गया है। ***कार्य प्रगति पर***
98.	176	बिना स्थायी खाता संख्या (पैन) वाले अनिवासियों के लिए फिलहाल टीडीएस दर अधिक है। यह प्रावधान करने के लिए कि वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उच्चतर दर लागू नहीं होगी, संगत प्रावधान को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	बजट घोषणाओं को कार्यान्वित करने के लिए वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 86 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 कक को संशोधित किया गया है। इस संबंध में नियमावली की जांच फिलहाल विधि मंत्रालय द्वारा की जा रही है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
99.	178	मैं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित बैंकिंग कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमाओं, उधारों और अग्रिमों के जरिए प्रदान की गई गैर-कर योग्य सेवाओं के संबंध में, निविष्टि कर क्रेडिट के प्रतिवर्तन हेतु अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	अपेक्षित अधिसूचना संख्या 13/2016 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी दिनांक 01.03.2016) जारी की गई है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
100.	179	हमारी सरकार ने कार्गो निर्गमन के समय और एक्जिम व्यापार की लेन-देन संबंधी लागतें कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। मैं, अच्छे रिकार्ड वाले आयातकों	सीमा शुल्क अधिनियम,1962 के तहत अच्छे रिकार्ड वाले आयातकों और निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क के आस्थगित भुगतान के लिए आवश्यक प्रावधान हेतु नियम अब तारीख 2.11.2016 की अधिसूचना

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		और निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क की आस्थगित अदायगी का प्रावधान करने के लिए सीमा-शुल्क अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करता हूं। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	संख्या 134/2016-सीमा-शुल्क(एनटी) के जरिए जारी कर दिया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
101.	180	बजट 2014-15 में, मैंने भारतीय सीमा-शुल्क एकल खिड़की परियोजना को कार्यान्वित करने के आशय की घोषणा की थी। हमने इस दिशा में काफी प्रगति की है और अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ से इसे बड़े पत्तनों और विमानपत्तनों पर कार्यान्वित कर दिया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	भारतीय सीमा शुल्क एकल खिड़की परियोजना 01 अप्रैल, 2016 से शुरू की गई है। इस पहल को स्विफ्ट (व्यापार के लिए एकल खिड़की सूचना) का नाम दिया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
102.	181	अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सीमा-शुल्क बैगेज नियमों को सरल बनाया जा रहा है जिससे निःशुल्क बैगेज अनुमति में बढ़ोतरी की जा सके। बैगेज घोषणा दाखिल करना केवल उन्हीं यात्रियों से अपेक्षित होगा जो शुल्क योग्य सामान लेकर चलेंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	सीमा-शुल्क बैगेज नियमावली, 2016 भी दिनांक 01.04.2016 से प्रभावी हुई है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
103.	182	**जवाबदेही निश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग** प्रौद्योगिकी मानवता के लिए वरदान है। हम कानून का पालन करने वाले नागरिक के लिए जीवन को अपेक्षाकृत आसान बनाने, और कर-वंचन करने वालों का पता लगाने के लिए भी आंकड़ा संग्रहण हेतु, कराधान विभाग में बड़े स्तर पर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की योजना बना रहे हैं। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	सीबीडीटी द्वारा एकीकृत डाटा भांडागार और कारोबार आसूचना प्लेटफार्म विकसित करने के लिए 'प्रोजेक्ट इन्साइट' प्रारंभ किया गया है ताकि कर प्रशासन के सभी क्षेत्रों में अनुपालना में सुधार लाने एवं सूचना के प्रभावी उपयोग के लिए हस्तक्षेप न करने वाले और सूचना-प्रेरित दृष्टिकोण को सुदृढ़ किया जा सके। परियोजना के कार्यान्वयन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किया गया है और सेवा प्रदाता के साथ संविदा पर जुलाई, 2016 में हस्ताक्षर किए गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण।***
104.	183	करदाताओं द्वारा आयकर कार्यालयों में जाने की जरूरत को समाप्त करने के लिए वर्ष 2015-16 में ई-निर्धारण की एक प्रायोगिक स्कीम शुरू की गई थी। मैं आने वाले वर्षों में 7 बड़े नगरों में सभी निर्धारितियों को ई-निर्धारण के दायरे में लाने का प्रस्ताव करता हूं। जांच के लिए चुने गए मामलों की संवीक्षा ई-माहौल में की जाएगी जिससे जब तक निर्धारिती स्वयं सुनवाई नहीं चाहता या दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों से निर्धारण अधिकारी पक्षकार	• ई-निर्धारण परियोजना का लक्ष्य सीएएसएस के तहत चयनित सुरक्षा इसका नियमित मूल्याकंन करते समय कागज रहित पर्यावरण सृजित करना है। पायलट आधार पर चयनित 5 प्रमुख शहरों यथा बंगलूरू, दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई और अहमदाबाद में इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। • पर्यावरण में मूल्याकंन को सुकर बनाने के लिए आयकर नियमावली, 1962 के नियम संख्या 127 के उपनियम (3) के अनुसार, बोर्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर निदेशालय (प्रणाली) ने इलैक्ट्रानिक संचार के सुरक्षित प्रसारण

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		की सुनवाई करना चाहता है, तब तक निर्धारिती से आयकर विभाग का सीधा संपर्क नहीं होगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया विधि, फार्मेट तथा मानक पर दिनांक 03.02.2016 को अधिसूचना जारी की है। उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार, जारी किए गए और प्राप्त हुए सभी ई-मेल कम्यूनिकेशन को अनिवार्य रूप से e-assessment @incometax.gov.in. को भेजा जाना है। • इस पहल के अंतर्गत, करदाताओं को नई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जिसके तहत करदाताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल पर उनको भेजे गए नोटिसों/ ऐसे सांविधिक नोटिसों की प्रतिक्रिया में भेजे गए आवेदनों तक पहुंच प्राप्त होती है। इसके तहत निर्धारिती को ई-फाईलिंग पोर्टल में लॉगिन के माध्यम से ई-निर्धारण से संबंधित सभी कम्यूनिकेशन तक पहुंच होगी। e-assessment@incometax.gov.in. में प्राप्त ई-मेल से ई-फाइलिंग को एकीकृत करने के लिए पीओसी से संबंधित कार्य प्रगति पर है। आईटीबीए के पूर्ण रूप से परिचालन के पश्चात्, ई-निर्धारण से संबंधित समस्त प्रक्रिया को आईटीबीए और ई-फाइलिंग के बीच एकीकृत किया जाएगा तथा यह सुविधा आईटीबीए में उपलब्ध होगी। • ई-मेल आईडी e-assessment@ incometax. gov.in. दिनांक 08.04.2016 में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, यह पाया गया है कि ई-निर्धारण पहल के तहत वित्त वर्ष 2013-14 से संबंधित कुल 90 आदेश ई-मेल के माध्यम से निर्धारितियों को भेजे गए हैं। इस पहल के तहत कुल 198 मेल का आदान-प्रदान हुआ है, जिनमें से 135 पत्रों/ नोटिसों को कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा ई-मेल के माध्यम से निर्धारितियों को जारी किया गया है और निर्धारितियों को विभाग द्वारा जारी किए गए पत्रों एवं नोटिसों के उत्तरों के रूप में निर्धारितियों से 63 मेल प्राप्त हुए हैं। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि आने वाले वर्ष में 7 प्रमुख नगरों में ई-निर्धारण सुविधा प्रारंभ की जाएगी। तदनुसार, इस ई-निर्धारण सुविधा को दो और शहरों में भी पहुंचाया जाएगा। इस पायलट स्कीम को दो और शहरों में प्रारंभ करने तथा शहरों की पहचान करने के लिए इस निदेशालय द्वारा सीबीडीटी के पास इस सबंध में अलग से एक प्रस्ताव भेजा जा रहा है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
105.	184	आयकर विभाग (आईटीडी) खासकर छोटे करदाताओं की अनुपालन लागत को कम करने के उद्देश्य से 'ई-सहयोग' नामक प्रायोगिक पहल का पूर्णतः विस्तार करेगा। 'ई-सहयोग' प्रायोगिक परियोजना का लक्ष्य आयकर दाताओं के आयकर कार्यालय	ई-सहयोग के पहले चक्र में, असंगत सूचना की स्थिति के समाधान के लिए 91,113 करदाताओं की पहचान की गई जिनमें से 23,323 करदाताओं ने ई-सहयोग के अंतर्गत ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने जवाब दे दिए हैं और 2,366 करदाताओं ने संशोधित आय विवरणी दाखिल कर दी है।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणाओं का पाठ	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		में आए बिना आयकर विवरणियों में आई असमानताओं का निपटान करने के लिए एक ऑनलाइन तंत्र उपलब्ध कराना है। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	ई-सहयोग के पहले चक्र के परिणाम का विश्लेषण किया गया और आन-लाइन के सत्यापन की कारगरता को सुधारने के लिए 7 परिदृश्यों में आवश्यक आशोधन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी ने एक अतिरिक्त परिदृश्य को शामिल करते हुए ई-सहयोग के कार्यक्षेत्र में विस्तार करने का अनुमोदन दिया है। ई-सहयोग के दूसरे चक्र में, ऑनलाइन समाधान के लिए 57,785 करदाताओं की पहचान की गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***
106.	185	मैं प्रस्ताव करता हूं कि यदि अपीलीय आदेश को प्रभावी करने में नब्बे दिन से अधिक का समय लगता है तो ऐसे मामले में सरकार 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सामान्य दर की अपेक्षा 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज अदा करेगी। अतः जो अधिकारी इसमें विलंब करेंगे, वे सरकार के इस नुकसान के लिए जवाबदेह होंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	वित्त अधिनियम, 2016 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 244क के प्रावधान को संशोधित किया गया, जो बजट घोषणा के कार्यान्वयन के लिए है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
107.	186	मैं सीमा-शुल्क की बाध्यता वाले भांडागारों हेतु भौतिक नियंत्रण के स्थान पर रिकार्ड आधारित नियंत्रण के प्रावधान हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन का प्रस्ताव करता हूं, जो कि उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों द्वारा समर्थित हो। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	वित्त अधिनियम, 2016 लागू होने की तारीख (14.05.2016) को विभिन्न प्रकार के वेयरहाउसों के लिए अभिलेख आधारित नियंत्रण अपनाने के लिए विनियम जारी किए गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण।***